जम्मू और कश्मीर का राज्य

(अब जम्मू और कश्मीर का यू. टी.) और अन्य।

वी.

शुबाम संगरा

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 1928)

16 नवंबर, 2022

[अजय रस्तोगी और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

किशोर न्यायः जम्मू और कश्मीर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2014: आर. 74-जुवेनिटी कठुआ बलात्कार मामले की याचिका-कठुआ बलात्कार मामले में अपहरण शामिल था, छह पुरुषों और प्रतिवादी (नाबालिग होने का दावा करने वाले) द्वारा आठ साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या-विशेष चिकित्सा बोर्ड ने प्रतिवादी की उम्र 19 साल से अधिक होने की राय दी-हालांकि, सीजेएम, कठुआ ने कार्यकारी अधिकारी, नगर समिति के बयान और प्रतिवादी के पिता के बयान पर भरोसा किया

अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी अपराध करने की तारीख को किशोर था-उच्च न्यायालय ने सीजेएम के आदेश को बरकरार रखा-इसलिए राज्य द्वारा तत्काल अपील-आयोजित की गईः आर का उप नियम (3)। 74 यह प्रावधान करता है कि उल्लिखित प्रमाणपत्रों के अभाव में या किसी भी स्थिति में इसके विपरीत, आयु के मुद्दे को तय करने वाला प्राधिकरण 'हो सकता है' मामले को विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड को भेज सकता है-शब्द 'हो सकता है' को उप के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 'होगा' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

आर का नियम (3)। 74 – यदि किशोर अभियुक्त के पक्ष में कोई स्पष्ट और स्पष्ट मामला है कि वह घटना की तारीख को नाबालिग था और दस्तावेजी साक्ष्य कम से कम प्रथम दृष्टया वही स्थापित करता है, तो वह किशोर न्याय अधिनियम के तहत विशेष सुरक्षा का हकदार होगा-जबकि जब कोई अभियुक्त एक जघन्य और गंभीर अपराध करता है और उसके बाद नाबालिग होने की आड़ में वैधानिक आश्रय लेने का प्रयास करता है, तो यह दर्ज करते समय एक आकस्मिक या घुड़सवार दृष्टिकोण की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वह किशोर है या नहीं-पांच योग्य डॉक्टरों की एक टीम द्वारा दी गई अंतिम राय की विश्वसनीयता को नजरअंदाज करने या अनदेखा करने या संदेह करने का कोई अच्छा कारण नहीं है-अन्य सभी स्वीकार्य सामग्रियों के अभाव में, यदि विशेषज्ञों की राय उसकी उम्र की सीमा के बारे में उचित संभावना की ओर इशारा करती है, तो

के हित में विशेष चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट पर वापस

न्याय-सी. जे. एम. के आदेश की पुष्टि करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून में टिकाऊ नहीं था-प्रतिवादी आरोपी नहीं था अपराध के समय किशोर और इसलिए, जिस तरह से अन्य सह-अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया, उसी तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए-किशोर

न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000। 7 ए और 94

जम्मू और कश्मीर किशोर न्याय (किशोरों की देखभाल और संरक्षण)

बाल) अधिनियम, 2013-एस. एस. 8 और 48.

जम्मू और कश्मीर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2013: एसएस। 8 , 48 - एस का सादा पठन। 8 अधिनियम, 2013 इंगित करता है कि जब भी किसी के समक्ष किशोरता का दावा किया जाता है

अदालत या अदालत की राय है कि अभियुक्त व्यक्ति एक था

अपराध करने की तारीख को किशोर, फिर अदालत के लिए जांच करना अनिवार्य है और

ऐसी जाँच, न्यायालय ऐसा साक्ष्य ले सकता है जो आवश्यक हो, तथापि, एक शपथ पत्र नहीं, ताकि ऐसे व्यक्ति की आयु निर्धारित की जा सके-- जाँच के अंत में, यदि न्यायालय किसी व्यक्ति को धारा 1 के तहत अपराध करने की तारीख को किशोर पाता है। 8 , तब ऐसी परिस्थिति में, न्यायालय कानूनी रूप से बाध्य है कि वह किशोर को उचित पारित करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड को भेजे

आदेश और वाक्य। 48 एक सक्षम प्राधिकारी के बारे में बात करते हैं,

जबकि, धारा 8 न्यायालय के संबंध में है-हालाँकि, ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों धाराओं में 'होगा' शब्द का उपयोग किया गया है।

शब्द और वाक्यांशः मई "-जब अनिवार्य-यह व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि 'मई' शब्द जब कानून में उपयोग किया जाता है तो यह एक निर्देशिका को संदर्भित नहीं करता है जिसका अर्थ है

विशेष मामले में, समानता और न्याय के हित में अदालत को यह प्रतीत होता है कि विधायिका का इरादा एक वैधानिक संदेश देना है।

कर्तव्य, तो 'मई' शब्द का उपयोग अदालत को इसे अनिवार्य रंग देने से नहीं रोकेगा-जम्मू और कश्मीर किशोर न्याय

(बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2014 - आर. 74.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. नियम 74 के उप-नियम (3) में यह स्पष्ट किया गया है कि उपखंड (i) में उल्लिखित प्रमाणपत्रों के अभाव में (iii) या उससे उत्पन्न होने वाले किसी विरोधाभास की स्थिति में,

आयु के मुद्दे को तय करने वाला प्राधिकारी इस मामले को विधिवत किसी को भेज सकता है।

मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया जो बदले में अपने निष्कर्षों को द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर (अब जम्मू एंड कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) v.

शुबाम संगरा

और किशोर न्याय बोर्ड को प्रस्तुत करें। विसंगतियाँ हैं

अभिलेख पर प्रत्यर्थी की जन्म तिथि का खुलासा करने वाले प्रमाणपत्रों में। ऐसा कोई उचित कारण नहीं है कि मामले को विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड को नहीं भेजा जाना चाहिए, जो बदले में, अपने निष्कर्षों को दर्ज करेगा और किशोर न्याय बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। "मे" शब्द को "विल" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। नियम 74 के उप-नियम (3) का उद्देश्य। [पैरा 38] [380-एफ-जी; 381-बी सी]

2. अधिनियम, 2013 की धारा 8 का सरल अध्ययन इंगित करता है कि जब भी किसी भी अदालत के समक्ष किशोरता का दावा किया जाता है या

अदालत की राय है कि आरोपी व्यक्ति किशोर था

अपराध करने की तारीख को, तो यह अनिवार्य है

न्यायालय द्वारा जाँच किए जाने के लिए और ऐसी जाँच के दौरान, न्यायालय ऐसे साक्ष्य ले सकता है जो आवश्यक हो, हालाँकि, शपथ पत्र नहीं, ताकि ऐसे व्यक्ति की आयु निर्धारित की जा सके। जाँच के अंत में, यदि अदालत किसी व्यक्ति को नाबालिग पाती है

धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत अपराध करने की तारीख, तब ऐसी परिस्थितियों में, अदालत कानूनी रूप से किशोर को उचित आदेश और सजा देने के लिए किशोर न्याय बोर्ड को भेजने के लिए बाध्य है। धारा 48 एक सक्षम प्राधिकारी के बारे में बात करती है, जबकि अधिनियम 2013 की धारा 8 में

अदालत का सम्मान करें। हालांकि, ध्यान देने योग्य बात यह है कि

दोनों धाराओं यानी धारा 8 के साथ-साथ धारा 48 में 'होगा' शब्द का उपयोग किया गया है। [पारस 42 और 44] [383-बी-डी; 383-एच; 384-ए]

3. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर एक स्पष्ट और स्पष्ट है

किशोर अभियुक्त के पक्ष में मामला कि वह घटना की तारीख को नाबालिग था और दस्तावेजी साक्ष्य कम से कम प्रथम दृष्टया

ऐसा प्रतीत होता है कि वह किशोर न्याय अधिनियम के तहत विशेष सुरक्षा का हकदार होगा। हालांकि, जब कोई आरोपी हाथ में अपराध की तरह एक जघन्य और गंभीर अपराध करता है और उसके बाद इसके तहत वैधानिक आश्रय लेने का प्रयास करता है

यह दर्ज करते समय कि क्या कोई अभियुक्त किशोर है या नहीं, एक नाबालिग, एक आकस्मिक या घुड़सवार दृष्टिकोण की आड़ में अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि अदालतों को न्याय के प्रशासन को सौंपे गए संस्थान में एक आम आदमी के विश्वास की रक्षा करने के उद्देश्य से अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया जाता है। [पैरा 72] [399-जी-एच; 400-ए] [2022] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. इस न्यायालय द्वारा दी गई अंतिम राय की विश्वसनीयता को नजरअंदाज या अनदेखा या संदेह करने का कोई उचित कारण नहीं है।

पाँच योग्य डॉक्टरों की टीम, एक शरीर विज्ञान विभाग से, एक शरीर रचना विज्ञान विभाग से, एक मौखिक निदान विभाग से, एक शरीर विज्ञान विभाग से।

फोरेंसिक मेडिसिन और रेडियो विभाग से एक

निदान, सभी एक शब्द में कहते हैं कि शारीरिक, दंत और रेडियोलॉजिकल परीक्षा के आधार पर, उत्तरदाता की अनुमानित आयु 19 और 23 वर्ष के बीच तय की जा सकती है। पाँच चिकित्सा विशेषज्ञों के विशेष चिकित्सा बोर्ड द्वारा तैयार की गई चिकित्सा रिपोर्ट की विश्वसनीयता के संबंध में प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से बहुत कुछ नहीं कहा गया है। एकमात्र तर्क यह है कि मेडिकल रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दें क्योंकि रिकॉर्ड पर विभिन्न दस्तावेजों में जन्म तिथि का प्रमाण मिलता है। जन्म तिथि का प्रमाण देने वाले दस्तावेज किसी को प्रेरित नहीं करते हैं।

विश्वास और न्याय के हित में विशेष चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट से पीछे हटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। [पारस 74 और 77] [400-जी; 401-एफ-जी]

बच्चन देवी बनाम। नगर निगम, गोरखपुर (2008) 12

एससीसी 372: [2008] 2 एससीआर 424; ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2022) 8 एस. सी. सी. 602; पराग भाटी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2016) 12 एस. सी. सी. 744: [2016] 2 एससीआर 1089-निर्भर

पर।

रामदेव चौहान उर्फ राज नाथ बनाम। असम राज्य (2001) 5 एससीसी 714: [2001] 3 एससीआर 669; अश्विनी कुमार सक्सेना बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (2012) 9 एससीसी 750: [2012] 10 एस. सी. आर. 540; दर्गा राम उर्फ गंगा बनाम। राजस्थान राज्य (2015) 2 एससीसी 775: [2015] 1 एससीआर 350; धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2007) 8 एस. सी. सी. 338 [2007] 10 एस. सी. आर. 245; मुकर्रब बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2017) 2 एससीसी 210: [2016] 8 एस. सी. आर. 557; संजीव कुमार गुप्ता बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2019) 12 एससीसी 370: [2019] 9 एस. सी. आर. 735; अबुज़र हुसैन @गुलाम हुसैन बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (2012) 10 एस. सी. सी. 489 [2012] 9 एस. सी. आर. 244; अश्विनी कुमार सक्सेना बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (2012) 9 एससीसी 750: [2012] 10 एससीआर 540; बबलू पासी बनाम। झारखंड राज्य (2008) 13 एस. सी. सी. 133: [2008] 14 एस. सी. आर. 161; अर्नीत दास बनाम

जम्मू और कश्मीर राज्य (अब जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) v. शुबाम संगरा

बिहार का, (2000) 5 एस. सी. सी. 488: [2000] 1 पूरक। एससीआर 69;

जितेंद्र राम उर्फ जीतू बनाम। झारखंड राज्य, (2006) 9

राजस्थान राज्य (2012) 5 एससीसी 201: [2012] 5 एस. सी. आर. 237-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2001] 3 एससीआर 669

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

[2012] 10 एससीआर 540

पैरा 35

संदर्भित किया गया है

[2015] 1 एससीआर 350

पैरा 35

संदर्भित किया गया है

[2008] 2 एससीआर 424

उस पर भरोसा करें

पैरा 39

[2007] 10 एससीआर 245

उस पर भरोसा करें

पैरा 40

[2016] 8 एससीआर 557

संदर्भित किया गया है

पैरा 47

(2022) 8 एस. सी. सी. 602

उस पर भरोसा करें

पैरा 58

[2016] 2 एससीआर 1089

उस पर भरोसा करें

पैरा 58

(i)

[2019] 9 एससीआर 735

पैरा 58

(ii)

संदर्भित किया गया है

[2012] 9 एससीआर 244

पैरा 58

(iii)

संदर्भित किया गया है

पैरा 58

(iv)

[2012] 10 एससीआर 540

संदर्भित किया गया है

[2008] 14 एससीआर 161

पैरा 59

(वी)

संदर्भित किया गया है

[2000] 1 पूरक। एससीआर 69

पैरा 58

(vi)

संदर्भित किया गया है

[2006] 1 पूरक। एससीआर 286

पैरा 58

(vii)

संदर्भित किया गया है

[2012] 5 एससीआर 237

पैरा 70

संदर्भित किया गया है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः क्रिमिनल एपिया

1928 2022 तक।

उच्च न्यायालय के 11.10.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 के सी. आर. आर. सं. 27 में जम्मू में जम्मू और कश्मीर का।

पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता। , शैलेश मडियाल, पार्थ अवस्थी, वा

सभरवाल, विनायक एस. पंडित, सुश्री हर्षिका वर्मा, सुश्री ता अर्धेन्दुमौली प्रसाद, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

नितिन सांगड़ा, श्रीमती प्रज्ञा बघेल, अधिवक्ता।

ता के लिए [2022] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे. बी. पारदीवाला, जे.

" बलात्कार पृथ्वी पर सबसे भयानक अपराधों में से एक है और ऐसा होता है।

हर मिनट। जिन समूहों से निपटा जाता है उनके साथ समस्या

बलात्कार यह है कि वे महिलाओं को इस बारे में शिक्षित करने की कोशिश करते हैं कि उनका बचाव कैसे किया जाए

स्वयं। वास्तव में जो करने की आवश्यकता है वह पुरुषों को नहीं सिखाना है

बलात्कार करना। स्रोत पर जाएँ और वहाँ से शुरू करें।

-

कर्ट कोबेन

1. यह अपील जम्मू और कश्मीर राज्य के कहने पर की गई है

(अब जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) और जम्मू में जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2019 के खिलाफ निर्देशित किया जाता है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता राज्य द्वारा दायर 2018 के आपराधिक संशोधन आवेदन संख्या 27 को खारिज कर दिया, जिससे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कठुआ द्वारा दिनांक 27.03.2018 द्वारा पारित आदेश की पुष्टि होती है, जिसमें प्रतिवादी आरोपी को कथित अपराध करने की तारीख पर किशोर माना गया है।

2. यह मुकदमा सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कठुआ बलात्कार से उत्पन्न होता है।

मामला। कठुआ बलात्कार मामले में जनवरी, 2018 में जम्मू और कश्मीर में कठुआ के पास रसाना गाँव में छह हिंदू पुरुषों और प्रतिवादी (नाबालिग होने का दावा करने वाले) द्वारा 'एक्स' नाम की आठ वर्षीय मुस्लिम लड़की का अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या शामिल थी। पीड़ित खानाबदोश बकरवाल समुदाय से था। गाँव से एक किलोमीटर दूर ग्रामीणों द्वारा उसका शव बरामद किए जाने से पहले वह एक सप्ताह तक गायब रही। भयानक अपराध के संबंध में सभी आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था जिसमें प्रतिवादी भी शामिल है। क्योंकि यहाँ उत्तरदाता

किशोर होने का दावा करते हुए, उसके मुकदमे को अलग कर दिया गया। अन्य छह सह-अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया और दिनांक 10.06.2019 के निर्णय और आदेश के अनुसार

निचली अदालत द्वारा पारित, सात अभियुक्तों में से छह को दोषी ठहराया गया और

एक आरोपी को बरी कर दिया गया। दोषियों में से तीन को आजीवन कारावास और शेष को तीन से पांच साल की सजा सुनाई गई।

कारावास। पूरे मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एस. आई. टी.) का गठन किया गया और अंततः सभी अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। पीड़ित के पिता का नाम 'Y' है।

हीरा नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी लापता हो गई है।

3. 17.01.2018 पर, पीड़ित का शव मिला और उसे अंदर ले जाया गया

पुलिस की हिरासत में। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

जम्मू और कश्मीर राज्य का पोस्टमॉर्टम (अब जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) v. शुबाम संगरा [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

उसी दिन कठुआ के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम द्वारा ऑपरेशन किया गया था। 22.01.2018 पर, मामले की जाँच अपराध शाखा और अपराध मुख्यालय को स्थानांतरित कर दी गई थी।

4. पोस्टमॉर्टम में मृतक लड़की के शरीर में क्लोनाजेपाम की उपस्थिति का पता चला। डॉक्टरों द्वारा की गई जाँच में पाया गया कि मृतक को बलात्कार और हत्या से पहले नशीली दवा दी गई थी जो शामक थी। फोरेंसिक साक्ष्य ने सुझाव दिया कि उसे अपराध के अभियुक्त व्यक्तियों में से एक सांजी राम द्वारा कई तारीखों पर रखा गया था। मंदिर से बरामद बालों की डोरें ले जाए गए बालों से मेल खाती थीं। मृतक से। फोरेंसिक जांच में कहा गया कि मृतक के साथ अलग-अलग पुरुषों द्वारा कई बार बलात्कार किया गया था और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और साथ ही सिर पर भारी पत्थर से मारा गया था।

5. दिल्ली फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने चौदह का विश्लेषण किया

योनि के फाहे, बालों के धागे, चार अभियुक्तों के रक्त के नमूने, मृतक लड़की का विसरा, लड़की का फ्रॉक और सलवार, साधारण मिट्टी और खून से सना हुआ मिट्टी वाले साक्ष्य के पैकेट। योनि स्वैब के साथ मिलान किया गया

कुछ अन्य नमूनों की तरह आरोपी का डीएनए। जिस मंदिर में मृतक के साथ बलात्कार किया गया था, वहां पाए गए बालों के धागे लड़की और आरोपी के बालों से मेल खाते हैं। 6. अभियुक्त व्यक्तियों में से एक नाम सांजी राम और प्रतिवादी को मामले में मुख्य अभियुक्त पाया गया। प्रासंगिक समय पर वह उस पारिवारिक मंदिर के पुजारी थे जहाँ कथित रूप से घटना हुई थी। यहाँ प्रतिवादी सांजी राम का भतीजा होता है।

7. 10.06.2019 पर, सात अभियुक्त व्यक्तियों में से छह पाए गए।

तिलक राज, आनंद दत्ता और सुरिंदर कुमार को मामले में महत्वपूर्ण सबूत नष्ट करने के लिए पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। विशाल जंगोत्रा पुत्र सांजी राम को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। आठवाँ अभियुक्त, जिस पर अपराध करने के समय किशोर होने का दावा करते हुए मुकदमा चलाया जाना बाकी है, यहाँ प्रतिवादी है। 8. प्रतिवादी के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट मामला आरोप पत्र में इस प्रकार निहित है:

" ..... वह तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरा, 3 मनार और चाबी देवीस्थान के पास ले गया और 'एक्स' को बताया कि उसने उसके घोड़ों को देखा है।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वह उसे जंगल ले गया और आरोपी मन्नू को भी बुलाया। वह पहले से ही अपने संकेत का इंतजार कर रहा था। कुछ परेशानी महसूस करते हुए पीड़ित ने भागने की कोशिश की। जे. डी. ने उसे पकड़कर रोक दिया।

उसकी गर्दन पकड़ ली और उसके एक हाथ से उसका मुंह ढक दिया और उसे धक्का दिया और वह जमीन पर गिर गई। आरोपी मन्नू ने उसके पैर पकड़ लिए और जे. सी. एल. (प्रतिवादी) ने एक-एक करके मानरस को जबरन पीड़िता को दिया। पीड़िता बेहोश हो गई और उसके साथ जे. सी. एल. द्वारा बलात्कार किया गया। बाद में, वे लड़की को ले गए और उसे दो चटायियों पर मेज के नीचे देवस्थान के अंदर रख दिया।

(प्लास्टिक की चटाई) और फिर उसकी दो दरी (सूती धागा) को ढक दिया।

मैट्स)। लगभग 8:30 बजे जे. सी. एल. फिर से देवस्थान गया और लड़की को 3 शामक गोलियां दीं, जबकि वह खाली पेट बेहोश थी।

..... आरोपी विशाल जंगोत्रा @Shamma ने 'X' के साथ बलात्कार किया। इसके बाद जे. सी. एल. ने भी आरोपी मन्नू की मौजूदगी में लड़की के साथ बलात्कार किया। जाँच में यह भी पता चला कि बलात्कार करने के बाद, जे. सी. एल. ने आरोपी विशाल जंगोत्रा उर्फ श्म्मा और आरोपी मन्नू को देवीस्थान छोड़ने का निर्देश दिया। जे. सी. एल. ने फिर से पट्टी से 3 गोलियाँ निकालीं जो उसने देवीस्थान के बाहर बिजली के खंभे के पास कचरे के ढेर के नीचे रखी थीं और उन्हें दीं।

लड़की के साथ भी ऐसा ही किया और फिर से यहाँ चटाई से ढक दिया और उसे छिपाने के लिए बर्तन का पात्र उसके सामने गिरा दिया।

जाँच के दौरान यह पाया गया है कि शाम को रिश्तेदारों को लोहड़ी बाँटने के बाद जे. सी. एल. ने आरोपी सांजी राम को सूचित किया कि उसने और आरोपी विशाल जंगोत्रा ने देव के अंदर 'एक्स' के साथ सामूहिक बलात्कार किया था! स्थान। मौके पर ही आरोपी दीपक खजुरिया ने जे. सी. एल. को इंतजार करने के लिए कहा क्योंकि वह लड़की के साथ बलात्कार करना चाहता था।

उसकी पीठ पर घुटने दबाकर उसे मार डाला और

जम्मू और कश्मीर राज्य (अब जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) के दोनों छोरों पर बल प्रयोग करके लड़की का गला घोंट दिया। शुबाम संगरा [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

चुननी। इसके बाद, जे. सी. एल. को यह सुनिश्चित करने के लिए आरोपित किया गया कि

पीड़ित मर चुका है, उसके सिर पर दो बार पत्थर से मारा। ..... योजना के अनुसार आरोपी विशाल जंगोत्रा के साथ जे. सी. एल.

@शम्मा देवस्थान गई। आरोपी विशाल जंगोत्रा

@शम्मा ने दरवाजा खोला जबकि जे. सी. एल. ने शव उठाया।

उसके कंधे पर। आरोपी विशाल जंगोत्रा @Shamma

दरवाजा बंद कर दिया और जे. सी. एल. ने शव को फेंक कर फेंक दिया

यह जंगल के अंदर हुआ जबकि आरोपी विशाल जंगोत्रा @Sham

माँ झाड़ियों के बाहर पहरा दे रही थीं।

इसके अलावा, पूरक शुल्क पत्रक दिनांक 09-08-2018 में

यह निम्नानुसार देखा गया हैः

" जाँच के दौरान, यह पहले ही हो चुका है

यह स्थापित किया कि पीड़ित को शामक दवा दी गई थी

उसकी कैद के दौरान आरोपी। दो गोलियां बरामद

देवस्थान के पास कानून के साथ टकराव में किशोर का खुलासा

रसाना को विश्लेषण के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया। रसायन

उसके प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट से पता चला कि

उक्त गोलियों में क्लोनजेपाम नमक। खाली पेट पीड़ित पर 'मन्नार' के साथ-साथ क्लोनाजेपाम के प्रभाव का पता लगाने के लिए, संबंधित विशेषज्ञ (प्रोफेसर और प्रमुख, फार्माकोलॉजी, जीएमसी जम्मू) ने राय दी है कि

शामक क्लोनाज़ेपाम (एपिट्रिल 0.Smg) में निम्नलिखित है

प्रभावः - (1) उनींदापन, (2) उलझन, (3) कमजोर, (4) समन्वय, (5) धीमी प्रतिक्रिया, (6) धीमी या बंद

साँस लेना, (7) कोमा (चेतना की हानि) और मृत्यु।

विशेषज्ञ की अंतिम राय के अनुसार "शिखर"

रक्त में क्लोनाज़ेपाम की सांद्रता एक घंटे से डेढ़ घंटे के बाद प्राप्त की जाती है। मौखिक प्रशासन के घंटे। क्लोनाज़ेपाम

प्रवेश मार्ग से अवशोषण बिना किसी परवाह के पूरा हो जाता है

भोजन के साथ या उसके बिना दिया जाना।

9. प्रतिवादी अभियुक्त पर यहाँ जिस अपराध का आरोप लगाया गया है वह जघन्य है; इसका निष्पादन किसी भी तरह से क्रूर और क्रूर था। पूरा अपराध सुनियोजित और निर्दयी था। यह मामला देश भर में समाज का ध्यान और आक्रोश को लाल कर देता है।विशेष रूप से, जम्मू और कश्मीर राज्य में, एक क्रूर अपराध के रूप में समुदाय के भीतर सुरक्षा के बारे में चेतावनी दी गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. वर्तमान मुकदमे में हमारा निर्णय इस सवाल तक सीमित है कि क्या प्रतिवादी अपराध करने की तारीख को किशोर था? यह सब जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा 2018 के ओ. डब्ल्यू. पी. संख्या 259 में 2018 के एम. पी. संख्या 1 के साथ पारित दिनांक 21.02.2018 के आदेश के साथ शुरू हुआ। आदेश इस प्रकार हैः

" दिनांक 09.02.2018 के आदेश के अनुपालन में, विद्वान वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री डब्ल्यू. एस. नरगल ने प्रस्तुत किया है

स्थिति रिपोर्ट की प्रति। पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और स्थिति रिपोर्ट के अवलोकन के बाद, मैं एस. आई. टी. को निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित समझता हूंः

1. कि एस. आई. टी. आज से 10 दिनों की अवधि के भीतर शुभम संगरा की उम्र का पता लगाने के लिए कदम उठाएगी।

चिकित्सा बोर्ड जिसका गठन प्राचार्य द्वारा किया जाएगा,

गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू;

2. कि एस. आई. टी. मन्नू के ठिकाने का भी पता लगाएगी जिसका नाम स्थिति रिपोर्ट के अनुच्छेद 6 में उल्लिखित है।

और उपरोक्त मन्नू को पकड़ने के लिए कदम उठाएगा;
3. कि एस. आई. टी. विस्तृत प्रश्नावली के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति भी प्राप्त करेगी।

संचालन करने वाले बोर्डों के डॉक्टरों को इसके द्वारा आपूर्ति की गई

पोस्टमार्टम के बाद।

आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर उपरोक्त बिंदुओं के संबंध में एक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 19.02.2018 दिनांकित स्थिति रिपोर्ट का हिस्सा दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है, ग्रेटर कश्मीर, विस्तार में और मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए और साथ ही स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए, मैं यह निर्देश देना उचित समझता हूं कि तत्काल रिट याचिका की कार्यवाही किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं की जाएगी।

सूची के सबसे नीचे 09.03.2018 पर सूची बनाएँ।

11. ऊपर निर्दिष्ट अपने आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के उचित अनुपालन में, विशेष जांच दल ने अपने

सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू के प्राचार्य से उत्तरदाता की आयु निर्धारित करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने का अनुरोध किया गया है।

जम्मू और कश्मीर का राज्य (अब जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) v. शुबाम संगरा [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

12. सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और डीन

एमयू ने एक विशेष चिकित्सा बोर्ड का गठन किया जिसमें निम्नलिखित शामिल थेः कॉर्सः

एस.

नाम

पदनाम

नहीं।

1

डॉ. मृत्युंजय

प्रोफेसर। , शरीर विज्ञान विभाग

सहायक प्रोफेसर, विभाग

डॉ. अश्विनी

2

एनाटॉमी

डॉ. सतविंदर सिंह

3

व्याख्याता, मौखिक विभाग

नैदानिक विभाग, आई. जी. जी. डी. सी.,

जम्मू

डॉ. शिवानी मेहता

व्याख्याता, फोरेंसिक विभाग

4

औषधि

पंजीयक, रेडियो विभाग

डॉ. जीवितेश खुदा

5

निदान

13. विशेष चिकित्सा बोर्ड का गठन, जैसा कि ऊपर किया गया है,

इसमें प्रत्यर्थी की चिकित्सीय जांच की गई और अपना जवाब दिया गयाई. डी. 03.3.2018 जो इस प्रकार हैः

आयु अनुमान रिपोर्ट

नाम

शुभम संगरा @शुबू सेक्सः पुरुष।

एस. ओम प्रकाश संगरा

एस/ओ।

पता हीरानगर, वार्ड संख्या 10, एन. पी. रसाना

व्यक्ति द्वारा कथित आयु/विविध डेटा 15 वर्ष

उप पुलिस अधीक्षक श्वेतांबर शर्मा द्वारा लाया गया/प्राधिकरण

स्थायी चिकित्सा बोर्ड, नं. जीएमसी/2018/एसएमबीडी केपीएस-125741

अदालती मामला 12176 दिनांकित 26/02/2016 अपराध शाखा जम्मू

परीक्षा का उद्देश्य सुभम सांगरे की आयु का आकलन

एसडी /

(व्यक्ति का हस्ताक्षर/अंगूठे का प्रभाव

पहचान के निशानः 1. बाएँ कोण o के ऊपर काला तिल

मुँह

2. दाहिनी भौंह पर निशान

1. शारीरिक परीक्षा [2022] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((i) ऊँचाई 5 '3 "

((ii) वजन 48 किग्रा।

((ii) निर्मित औसत

((ii) स्वर मर्दाना

(v) माध्यमिक लिंग चरित्र

अच्छी तरह से विकसित

II. डेंटल परीक्षा

(U.Left)

(यू. राइट)

12345678

87654321

87654321

12345678

(एल. दाएँ)

(एल. दाएँ)

डॉ. सतविंदर सिंह द्वारा दन्त आयु अनुमान के लिए मौखिक निदान विभाग आई. जी. जी. डी. सी. जम्मू को संदर्भित किया गया।

03/03/2018 -नैदानिक परीक्षण पर, सभी स्थायी दांत

38 & 48 खुला (अवैध) के साथ पूर्ण जड़ गठन के करीब दिखाएँ। गुहा पर इस निष्कर्ष पर, रोगी का दंत 19 + वर्ष का है। III. रेडियल परीक्षणः प्रस्थान करने वालों के लिए संदर्भित

आयु अनुमान के लिए एक्स-किरणों के लिए रेडियो निदान। सलाह दी गई (1, एक्स-रे (आरटी।) हुमेरस (शोल्डर जेटी) एपी (2) एक्स-रे हिप (पेल्विस) एपी (3) एक्स-रे (आरएफ) घुटने जेटी-एपी (4) एक्स-रे (आरटी) कोहनी जॉइंट एएफ लैट (5) एक्स-रे (आरटी) हाथ और कलाई एपी।

राय-आई. जी. जी. डी. सी. जम्मू और रेडियो निदान विभाग से रिपोर्ट प्राप्त होने तक आरक्षित।

एसडी /

एसडी /

डॉ. मृत्युंजय

शिवानी मेहता

(शरीर विज्ञान विभाग)

(फोरेंसिक चिकित्सा विभाग)

एसडी /

एसडी /

एसडी /

डॉ. जीवितेश खुदा डॉ. अश्विनी डॉ. सतविंदर (रेडियो विभाग (शरीर रचना विज्ञान विभाग) (आई. जी. डी. डी. सी. जम्मू) निदान)

जम्मू और कश्मीर का राज्य (अब जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) v. शुबाम संगरा [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

3/03/2018 अंतिम राय-प्राप्त आर/8 "x 10" x चार (4)

उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए डॉ. जीवितेश खोड़ा द्वारा रिपोर्ट की गई फिल्में मेरी राय में रोगी की आयु उन्नीस से तेइस (19-23) वर्ष के बीच है।

अंतिम राय-शारीरिक और दंत चिकित्सा के आधार पर रेडियोलॉजिकल जाँच उपरोक्त व्यक्ति की अनुमानित आयु उन्नीस वर्ष (19 +) से अधिक है।

एसडी /

एसडी /

एसडी /

डॉ. अश्विनी

डॉ. सतविंदर

डॉ. मृत्युंजय

(शरीर विज्ञान विभाग)

(शरीर रचना विज्ञान विभाग) (मौखिक विभाग)

निदान)

एसडी /

एसडी /

डॉ. शिवानी मेहता

डॉ. जीवितेश खुदा

(फोरेंसिक चिकित्सा विभाग) (रेडियो निदान विभाग) "

14. इसके बाद उच्च न्यायालय ने 2018 की एम. पी. संख्या 1 के साथ 2018 की ओ. डब्ल्यू. पी. संख्या 259 दिनांकित एक आदेश पारित किया जो इस प्रकार हैः

" जब आज यह मामला उठाया गया, तो वरिष्ठ विद्वान ने कहा

अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि अनुरोध के बावजूद

प्रस्तुत करते हुए, चिकित्सा अधीक्षक, जिला अस्पताल, कठुआ को पोस्टमार्टम की प्रति सौंपने का निर्देश दिया जाता है आज पारित आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन दिनों की अवधि के भीतर विशेष जांच दल का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को प्रश्नावली का जवाब देने के साथ-साथ रिपोर्ट करें।

उत्तरदाता 1 से 3 की ओर से दायर की गई स्थिति रिपोर्ट के पैरा 7 में दिए गए कथनों के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विशेष जांच दल फरार आरोपी, अर्थात् सांझी राम के संबंध में गिरफ्तारी का वारंट प्राप्त करेगा और उसे गिरफ्तार करने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाएगा और उससे और साथ ही अन्य व्यक्तियों से पूछताछ करेगा जो [2022] 8 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विचाराधीन अपराधों से संबंधित जिनके नाम लिए गए हैं

स्थिति रिपोर्ट के पैरा 7 में उल्लिखित है। उपरोक्त को जाने दें। व्यायाम आज से तीन सप्ताह के साथ किया जाना चाहिए।

श्री नरगल, विद्वान वरिष्ठ ए. ए. जी. ने आगे कहा कि चूंकि

मामला इस न्यायालय के समक्ष लंबित है, मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट, कठुआ अभियुक्त की उम्र का पता नहीं लगा रहे हैं।

जे एंड के किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) की धारा 8 बच्चों का) अधिनियम, 2013 के साथ-साथ बनाए गए नियमों के नियम 74

अधिनियम के तहत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कठुआ को निर्देश दिया जाता है

अभियुक्त की उम्र का पता लगाने के लिए, अर्थात्, शुबम सांगरा

प्रमाणित की प्राप्ति की तारीख से दस दिनों की अवधि के भीतर

आज पारित आदेश की प्रति, प्रभावित हुए बिना

जिला चिकित्सा बोर्ड को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट।

09.04.2018 पर सूची बनाएँ।

इस आदेश की एक प्रति विद्वान वकील को प्रदान की जाए।

पीठ सचिव की मुहर और हस्ताक्षर के तहत पक्षकार इस न्यायालय से।

15. हीरा नगर के तहसीलदार ने दिनांकित अपने संचार का वीडियो बनाया

. 2018 पुलिस अधीक्षक, प्रभारी एस. आई. टी. अपराध को सूचित किया

च कि प्रत्यर्थी की जन्म तिथि के संबंध में मूल अभिलेख का पता नहीं लगाया जा सकता था। तहसीलदार का दिनांकित पत्र 14.03.2018

इस प्रकारः

" जम्मू और कश्मीर सरकार का राजस्व विभागटीएचएसआईएलडीएआर का कार्यालय, विशेष रूप से पंजीकृत

1 सेंट क्लास, हिरानगर (कठुआ)

दि. पुलिस अधीक्षक

एस. आई. टी. सदस्य अपराध शाखा, जे. एंड के.

जम्मू।

तारीखः 14.03.2018

नहीं। जेसी/232

केस फ़िर नं. 10/2018 यू/एस 363/302/की जाँच

उपः

343 / 376 / 201 / 120- पी/एस हीरानगर की बी आर पी सी। सी. बी./एफ. आई. आर./10-2018/127 दिनांक 13.03.2018

संदर्भः

जम्मू और कश्मीर राज्य (अब जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) v. शुबाम संगरा [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

आपके कार्यालय पत्र No.CB/FIR/10-2018/127 के संदर्भ में ऊपर उद्धृत विषय के संबंध में दिनांक 13.03.2018।

इस संदर्भ में यदि यह मूल प्रस्तुत किया जाता है, तो शुभम संगरा पुत्र ओम प्रकाश पुत्र हीरानगर की जन्म तिथि के संबंध में इस कार्यालय से जारी आदेश संख्या 22/जेसी दिनांक 15.04.2004 से संबंधित रिकॉर्ड इस कार्यालय में पता नहीं चलता है। इसके अलावा, पुराने विविध अभिलेख को जीर्ण-शीर्ण कर दिया गया है, जिसके लिए अधोहस्ताक्षरित मूल अभिलेख प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है।

आपकी

ईमानदारी से,

एसडी /

गौरव

शर्मा,

तहसीलदार,

हीरानगर "

16. खंड चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, हीरा

नागर ने अपने दिनांक 15.03.2018 के संचार द्वारा सूचित किया पुलिस अधीक्षक, प्रभारी एस. आई. टी. अपराध शाखा, जम्मू और कश्मीर ने कहा कि संस्थान में उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन से पता चलता है कि श्रीमती के नाम पर कोई डिलीवरी नहीं हुई। त्रिप्ता देवी W/o ओम प्रकाश, यहाँ प्रतिवादी की माँ, 23.10.2002 पर हुई थी। द.

23.02.2002 की तारीख महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह प्रतिवादी का मामला है कि वह 23.10.2002 पर पैदा हुआ था।

17. 20.03.2018 पर, यहाँ उत्तरदाता ने एक आवेदन को प्राथमिकता दी

जम्मू और कश्मीर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत सीजेएम, कठुआ की अदालत में

(संक्षेप में, 'अधिनियम, 2013') एक किशोर के रूप में उसके दावे के निर्धारण के लिए।

18. अपीलार्थी राज्य ने उपरोक्त पर विस्तृत आपत्तियाँ दायर कीं।

धारा 8 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन। आपत्तियाँ इस प्रकार हैं:

“ ए। 12.01.2018 पर एक मोहम्मद। युसूफ एस/ओ साहिब दीन जाति

बकरवाल आर/ओ रसाना मोहरा प्लख फवारा तहसील

हीरानगर ने पी/एस से पहले उर्दू में एक आवेदन प्रस्तुत किया। हीरानगर ने उसमें कहा है कि उनकी बेटी मिस आसिफा की उम्र 8 साल है।

आस-पास के जंगल में घोड़ों को चराने में कई साल बीत चुके थे।

10.01.2018 . उन्हें लगभग 14 साल की उम्र में घोड़ों के साथ देखा गया थाः

8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

घंटे। लगभग 16 बजेः 00 घंटे, घोड़े वापस डेरा में लौट आए

लेकिन आसिफा वापस नहीं आई। इस पर मो. यूसुफ के साथ अन्य लोगों ने जंगल में खोज शुरू की लेकिन आसिफा का पता नहीं चल सका

बाहर निकलें। उसे संदेह है कि कुछ उपद्रवियों ने

उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। नतीजतन, मामला एफ़. आई. आर. सं. 10/2018

पी/एस हीरानगर में यू/एस 363 आर. पी. सी. दर्ज की गई थी और शव की बरामदगी के बाद धारा 302 और 343 आर. पी. सी. जोड़ी गई थी।

अभियोजक का। पी/एस हीरानगर के जांच अधिकारी, गुप्त सूचना के आधार पर एक को गिरफ्तार किया गया था

किशोर अपराधी नामतः शुबम सांगरा @चुबू

19.01.2018 और एल. डी. से पहले प्रस्तुत किया गया था। मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट कठुआ रिमांड की मांग के लिए 20.01.2018 पर। द.

बाद में मामले की जांच को स्थानांतरित कर दिया गया था

अपराध शाखा जम्मू पी. एच. क्यू. आदेश संख्या 374/2018 दिनांकित

27.01.2018 पर अपराध शाखा को सौंप दिया गया। इस दौरान धारा 376,201 के अधीन अपराधों की जाँच की प्रक्रिया और

120 - बी आर. पी. सी. को शामिल किया गया।

बी। एल. डी. कठुआ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मंजूरी दे दी है।

शिवम सांगरा @चुबू को दर्ज करने के लिए रिमांड

अवलोकन गृह आर. एस. पुरा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

10 दिन।

आई. 20.01.2018 29.01.2018 = तक

6 दिन।

11. 29.01.2018 03.02.2018 तक

10 दिन।

बीमार हैं। 03.02.2018 tol2.03.2018 =

15 दिन।

iv. 12.02.2018 26.02.2018 तक

=

15 दिन।

वी. 26.02.2018 12.03.2018 तक

=

11 दिन।

vi. 12.03.2018 22.03.2018 = तक

कुल-67 दिन, (कैलेंडर प्रविष्टियों के अनुसार 62 दिन)

इसके अलावा, एल. डी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय

कठुआ वीडियो आदेश दिनांक 30.01.2018,05.02.2018,19.02.2018 और 26.02.2018 ने किशोर अपराधी की अभिरक्षा प्रदान की है

3 दिन + 3 दिन + 3 दिन + 1 दिन के लिए शुबम संगरा

क्रमशः। इस तरह, किशोर को कुल 10 दिए गए।

जाँचक उद्देश्यसँ किछु दिनक पुलिस हिरासत। द.

जम्मू और कश्मीर राज्य (अब जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश) से निरंतर पूछताछ के दौरान किशोर अपराधी।

शुबाम संगरा [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अपहरण के अपराधों को भी स्वीकार किया, मृतक आसिफा का बलात्कार और हत्या। यहां तक कि घटनाओं की श्रृंखला में, धारा 161 और 164-ए. सी. आर. के तहत गवाहों के बयान के आधार पर। पी. सी. और परिस्थितिजन्य साक्ष्य अपराध यू/एस

363 , 343 , 302 , 376 , 120 - बी/आर. पी. सी. प्रथम दृष्टया बनाई गई है।

शुभम सांगरा @चुबू के खिलाफ आउट। सी। इसके अलावा, जांच के दौरान यह भी पता चला कि

किशोर का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने की तिथि

नगरपालिका समिति हीरानगर और एक से प्राप्त

मोडेम पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर

भिन्नता। बीच-बीच में। माननीय उच्च न्यायालय ने

21.02.2018 2018 के ओ. एच. पी. सं. 259 में मोहम्मद शीर्षक से। अख्तर बनाम।

राज्य ने अंतर-क्षेत्रीय रूप से निम्नलिखित निर्देश पारित किए थेः

" एस. आई. टी. आज से 10 दिनों की अवधि के भीतर एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा शुभम संगड़ा की उम्र का पता लगाने के लिए कदम उठाएगी जिसका गठन प्राचार्य जी. एम. सी. द्वारा किया जाएगा।

जम्मू "।

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में

जम्मू और कश्मीर जम्मू, प्रधान जी. एम. सी. जम्मू से इस कार्यालय पत्र सं. आयु निर्धारण के लिए एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करने के लिए सीबीजे/एफ. आई. आर./10 2018/56 दिनांक 26.02.2018

किशोर अपराधी शुबम सांगरा @चुबू का सम्मान। में।

जिसके जवाब में, प्रधान जीएमसी जम्मू का गठन किया गया

डॉक्टरों का बोर्ड जिसमें (i) शामिल हैं। डॉ. मृत्युंजय, विभाग

शरीर विज्ञान (ii)। डॉ. शिवानी मेहता, फोरेंसिक मेडिसिन विभाग (iii)। डॉ. जीवितेश खतीदा, रेडियो निदान विभाग (iv)। डॉ. आशवानी, शरीर रचना विभाग और (v)। डॉ. सतविंदर सिंह, इंदिरा गांधी सरकार का विभाग। डेंटल कॉलेज जम्मू (आई. जी. जी. डी. सी.)। इस प्रकार गठित डॉक्टरों के बोर्ड ने किशोर अपराधी शुबम सांगरा की जांच की।

28.02.2018 और तदनुसार प्रधान जीएमसी जम्मू ने प्रस्तुत किया बोर्ड की राय पत्र सं। जी. एम. सी./2017/एस. एम. वी. सी./अदालती मामला/2209 दिनांक 05.03.2018।

अंतिम रायः

शारीरिक, दंत और रेडियोलॉजिकल के आधार पर

उपर्युक्त [2022] 8 एस. सी. आर. की अनुमानित आयु की जांच करें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यक्ति की आयु उन्नीस वर्ष (19 +) से अधिक है। (की प्रतिलिपि

चिकित्सा रिपोर्ट को संदर्भ के लिए अनुलग्नक ए के रूप में जोड़ा गया है)।

डी। किशोर अपराधी से पूछताछ के आधार पर शिवम सांगरा, धारा 161 और 164-ए के तहत गवाहों का बयान

सी. आर. पी. सी. और परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त व्यक्ति अर्थात्

((i)। दीपक खजुरिया @दीपू पुत्र उपदेश खजुरिया (ii)। सुरिंदर कुमार पुत्र सैन दास पुत्र धमियाल हीरानगर और (iii)। परवेश कुमार @मन्नू पुत्र अशोक कुमार पुत्र रसाना हीरानगर, (iv)। विशाल जंगोत्रा @शम्मा और (v)। सांजी राम को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे लगातार पूछताछ की गई। द.

अब तक की गई जाँच से पता चलता है कि आरोपी

दीपाक कुमार खजुरिया और किशोर अपराधी ने मृतक आसिफ, दामाद मोहम्मद के अपहरण, बलात्कार और हत्या के लिए सांजी राम पुत्र देस राज निवासी रसाना के साथ आपराधिक साजिश रची। रसाना गाँव के यूसुफ और इस अपराधी को आगे बढ़ाने के लिए

सुरिंदर कुमार एस/ओ नामक अभियुक्त व्यक्तियों की साजिश

सैन दास निवासी धामियाल हीरानगर, परवेश कुमार उर्फ मन्नू पुत्र अशोक कुमार निवासी रसाना हीरानगर और विशाल जंगोत्रा

ई. इसके अलावा, जांच के दौरान यह भी पता चला है कि पी/एस हीरानगर के अधिकारी और अधिकारी आपराधिक साजिश का हिस्सा थे क्योंकि मृतक आसिफा के कपड़े थे। पुलिस स्टेशन हीरानगर के परिसर में धोया गया

17.01.2018 फोरेंसिक जाँच के लिए एफ. एस. एल. भेजने से पहले। अभियुक्त व्यक्तियों के इकबालिया बयानों और गवाहों के बयान के आधार पर धारा 161। पीसी और अन्य पी/एस हीरानगर के एच. सी. तिलक राज और एस. आई. आनंद दत्ता, पी/एस हीरानगर के तत्काल मामले के पूर्व आई/ओ को सबूत गायब करने के लिए गिरफ्तार किया गया है।

अपराधी को कानूनी सजा से बाहर निकालने का इरादा।

दोनों पुलिस अधिकारी पुलिस रिमांड पर हैं और पी/एस अपराध शाखा जम्मू में बंद हैं।

एफ. कि बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स की राय के अनुसार शुबम सांगरा @चुबू की उम्र उन्नीस साल से अधिक है और इस प्रकार वह एक वयस्क है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि मोहम्मद नामक रिट याचिका में। अख्तर बनाम। 2018 का राज्य ओ. डब्ल्यू. पी. संख्या 259, लंबित है।

जम्मू और कश्मीर के माननीय उच्च न्यायालय, जम्मू ई स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर (अब जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) के समक्ष निर्णय। शुबाम संगरा [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

जी. एम. सी. जम्मू के डॉक्टरों के बोर्ड की राय को दर्शाने वाली एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट माननीय अदालत के समक्ष दायर की गई थी 09.03.2018 माननीय उच्च न्यायालय के अवलोकन के लिए सीलबंद लिफाफे में।

समिति। उपरोक्त संचार के जवाब में, तहसीलदार हीरानगर ने पत्र सं। जेसी/232 दिनांकित 14.03.2018 है सूचित किया कि विचाराधीन फाइल उनके कार्यालय में ट्रेस करने योग्य नहीं है। (तहसीलदार का उत्तर संदर्भ के लिए संलग्न किया गया है और अनुलग्नक-बी) के रूप में चिह्नित किया गया है।

3. इसके अलावा यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि के कार्यकारी अधिकारी

नगर पालिका समिति हीरानगर ने किशोर शुभम संगरा के संबंध में नगर पालिका समिति के जन्म रजिस्टर में एक प्रविष्टि की है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त व्यक्ति का जन्म हीरानगर अस्पताल में हुआ था। हालांकि,

इसके विपरीत, इस कार्यालय पत्र सं। सीबी/एफ. आई. आर. /

10-2018 / 135 दिनांक 14.03.2018 ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हीरानगर कार्यालय पत्र सं। बी. एम. ओ./सी. एच. सी./एच. जी. आर./एक्ट/2214 दिनांक 15.03.2018 ने सूचित किया है कि संस्थान में उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन पर यह पाया गया है कि श्रीमती के नाम पर कोई डिलीवरी नहीं हुई है। त्रिपाटा देवी डब्ल्यू/ओ एस। ओम प्रकाश आर/ओ हीरानगर पर हुआ है

23.10.2002 , जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि नगर समिति हीरानगर के निष्पादन अधिकारी द्वारा की गई प्रविष्टि नहीं है

तथ्यों के आधार पर और यहाँ तक कि उक्त प्रविष्टि करने के लिए तहसीलदार हीरानगर का आदेश भी संदिग्ध हो गया है। (बी. एम. ओ. हीरानगर के पत्र की फोटोकॉपी संदर्भ के लिए संलग्न की गई है और इसे अनुलग्नक-सी के रूप में चिह्नित किया गया है।

4. कि यह रिकॉर्ड पर रखना भी प्रासंगिक है कि उपरोक्त उल्लिखित रिट याचिका को 14.03.2018 की माननीय अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें माननीय अदालत ने अध्ययन करने के बाद

सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई स्थिति रिपोर्ट कृपया 3 निर्देश जारी करने के लिए थी, जिनमें से एक मुद्दे [2022] 8 एस. सी. आर. से संबंधित था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हाथ में संदर्भ के लिए था यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है

इसके अंतर्गतः

" निम्नलिखित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए

जे एंड के जुवेनाइल की धारा 8 (देखभाल और संरक्षण) बच्चों का) अधिनियम; 2013 के साथ-साथ नियमों के नियम 74

अधिनियम के तहत तैयार किया गया; मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कठुआ

शुभम संगरा तारीख से दस दिनों की अवधि में आज पारित आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति,

द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से प्रभावित हुए बिना जिला चिकित्सा बोर्ड "।

अदालती आदेश की प्रमाणित प्रति पहले ही भेजी जा चुकी है

एल. डी. सी. पी. ओ. के माध्यम से न्यायालय, पत्र सं. सीबी/एफ. आई. आर./10-2018/154 दिनांकित 16.03.2018। हालांकि, की एक और फोटोकॉपी

अदालती आदेश को फिर से संदर्भ के लिए संलग्न किया गया है, जिसे इस रूप में चिह्नित किया गया है

संलग्नक-डी।

5. कि तहसीलदार के उपरोक्त जवाब को देखते हुए

हीरानगर के साथ-साथ खंड चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य और

परिवार कल्याण हीरानगर और रिपोर्ट के साथ

मेडिकल बोर्ड, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक शुबम सांगरा @चुबू को किशोर घोषित नहीं किया जा सकता है और बल्कि

वीभत्स और नृशंसता में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका को देखते हुए

कार्य के साथ-साथ उसका आचरण और व्यवहार,

अब तक की गई जाँच, वह काफी परिपक्व है और किशोर नहीं। इसके अलावा यह भी दर्ज किया गया है कि

सी. डी. फाइल के अनुसार शुभम संगरा की गिरफ्तारी की तारीख है

19.01.2018 और नहीं 12.01.2018 जैसा कि में परिलक्षित होता है आवेदन।

उपरोक्त समर्पण के आलोक में यह विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है

कि उपरोक्त आवेदन को कृपया अस्वीकार किया जा सकता है और

आवेदक शुबम सांगरा @चुबू पुत्र ओम प्रकाश पुत्र

वार्ड नं. 10 हीरानगर एन. पी. ग्राम रसाना, तहसील-हीरानगर

कृपया वयस्क घोषित किया जा सकता है या वैकल्पिक रूप से नहीं

किशोर, ताकि तत्काल मामले की जांच को अंतिम रूप दिया जा सके

गुणों पर।

पुलिस अधीक्षक,

आई/जी. एस. आई. टी. अपराध शाखा, जे एंड के,

जम्मू 'ई स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर (अब जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) v. शुबाम संगरा [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

19. द्वारा दायर आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से

ऊपर निर्दिष्ट अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत, सी. जे. एम., कठुआ ने कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका समिति, हीरा नगर और प्रतिवादी के पिता एन. ओम प्रकाश के बयान दर्ज किए।

20. अंततः सीजेएम, कठुआ ने अंतिम आदेश पारित किया

. 2018 यहाँ प्रत्यर्थी को किशोर मानते हुए। सीजेएम, कठुआ द्वारा पारित आदेश की प्रासंगिकता इस प्रकार हैः

" कानूनी स्थिति के निर्धारण पर चर्चा करने के बाद

ऊपर दिए गए नियम 74 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में, अब ध्यान मामले के तथ्यों पर केंद्रित किया जाना चाहिए।

कार्यकारी अधिकारी, नगर समिति हीरानगर याचिकाकर्ता की जन्म तिथि से संबंधित रिकॉर्ड के साथ 23-03-2018 पर उपस्थित हुए। उसी दिन उनकी जांच की गई। उनके अनुसार याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 23-10-2002 दर्ज की गई है।

याचिकाकर्ता को नगरपालिका समिति के अभिलेखों में 15-04-2004 पर दर्ज किया गया है; जिसमें कहा गया है कि प्रविष्टि तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी द्वारा की गई है जिनके हस्ताक्षर और मुहर क्रम संख्या में है। 80 संबंधित रजिस्टर की; कि यह प्रविष्टि दर्ज की गई थी कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हीरानगर के आदेश के अनुसार सं. 22 / जे. सी. दिनांक 15-04-2004; याचिकाकर्ता के पिता ने याचिकाकर्ता की जन्म तिथि दर्ज करने के लिए निर्देश की मांग करते हुए तत्कालीन कार्यकारी मजिस्ट्रेट (तहसीलदार) हीरानगर के समक्ष एक आवेदन दायर किया था; कि-आदेश सं. 22 / जेसी

दिनांकित 15-04-2004 ओम प्रकाश के तीन बच्चों का प्रवेश

(याचिकाकर्ता के पिता) को कार्यकारी द्वारा बनाए जाने का निर्देश दिया गया था

मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हीरानगर; याचिकाकर्ता की जन्म तिथि

कार्यपालिका के इस आदेश के अनुपालन में प्रवेश किया गया था

मजिस्ट्रेट केवल प्रथम श्रेणी; याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर पिता क्रम संख्या में मौजूद हैं। 80 संबंधित रजिस्टर की वह जन्म प्रमाण पत्र जिसकी फोटोकॉपी इस अदालत की फाइल पर है, उसके कार्यालय से जारी की गई है जिसमें याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 23-10-2002 के रूप में दर्ज की गई है और यह प्रविष्टि सही है

और मूल अभिलेख आदि के अनुसार सही है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ता के पिता ओम प्रकाश नामक एक अन्य गवाह से 24-03-2018 पर पूछताछ की गई। इस गवाह के अनुसार, याचिकाकर्ता उसका असली बेटा है; याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 23-10-2002 है; कि याचिकाकर्ता की जन्म तिथि भी नगर समिति हीरानगर के रिकॉर्ड में दर्ज की गई है और यह 15-04-2004 पर बनाई गई थी; कि इससे पहले उन्होंने कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हीरानगर के समक्ष याचिकाकर्ता की जन्म तिथि दर्ज करने के लिए एक आवेदन दायर किया और साक्ष्य भी दिया और अंत में तहसीलदार हीरानगर ने नगर समिति हीरानगर के नाम पर आदेश जारी किया।

याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 23-10-2002 के रूप में दर्ज की गई थी; उनकी पत्नी का नाम तृप्ता देवी है। याचिकाकर्ता को मॉडर्न पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में भर्ती कराया गया था

हीरानगर प्रथम श्रेणी में; कि वहाँ भी उन्होंने तारीख का खुलासा किया

याचिकाकर्ता का जन्म 23-102-2002 के रूप में; वह याचिकाकर्ता था

10 साल पहले उक्त स्कूल में स्वीकार किया गया था; हालाँकि स्कूल में याचिकाकर्ता की जन्म तिथि की गलत प्रविष्टि की गई है।

अभिलेख; स्कूल में दिखाई गई याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 23-10-2003 है; कि उसे स्कूल में याचिकाकर्ता की जन्म तिथि की इस गलत प्रविष्टि के बारे में तभी पता चला जब प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसके (याचिकाकर्ता) खिलाफ दर्ज किया गया जिसके अनुसार वह याचिकाकर्ता आदि की जन्म तिथि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए स्कूल गया।

जिरह पर, गवाह ने गवाही दी कि उसके तीन बच्चे हैं; कि सबसे छोटा याचिकाकर्ता है। अज्ञानता के कारण उन्होंने वर्ष 2004 में अपने बच्चों की जन्म तिथि दर्ज करने के लिए आवेदन दिया, भले ही उनकी सबसे बड़ी संतान वर्ष 1996 में पैदा हुई थी। कि वह यह नहीं कह सकते कि शिवम सांगड़ा को जम्मू और कश्मीर (अब जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) के स्कूल में किस उम्र में भर्ती कराया गया था।

शुबाम संगरा [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

और यह कि वह शिक्षा विभाग में चौथी कक्षा का कर्मचारी है

आदि।

यह ध्यान दिया जाए कि कार्यकारी अधिकारी, नगर समिति हीरानगर के साक्ष्य उस प्रक्रिया को परिप्रेक्ष्य में रखते हैं जो अंततः वर्ष 2004 में नगर समिति हीरानगर के रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता की जन्म तिथि दर्ज करने में समाप्त हुई। अभिलेख के रूप में, यह स्थापित है

याचिकाकर्ता की जन्म तिथि जन्म रजिस्टर में दर्ज की गई थी

नगर समिति हीरानगर का पंजीकरण सं। 80

15-04-2004 पर ऑर्डर नं. 22 / तत्कालीन कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (तहसीलदार) हीरानगर द्वारा पारित जेसी दिनांक 15-04-2004। तथ्य यह है कि नगरपालिका समिति द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र 17-03-2018 पर ऊपर दिया गया है

मूल अभिलेख के साथ और उसके अनुरूप, स्पष्ट रूप से किया गया है

नगरपालिका समिति के अभिलेखों द्वारा दोनों का प्रदर्शन किया गया

और इसके कार्यकारी अधिकारी की गवाही से भी। 17-03-2018 पर याचिकाकर्ता के पक्ष में नगर समिति हीरानगर द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र जिसमें उसकी जन्म तिथि 23 दर्शाई गई है

10-2002 , जैसा कि यहाँ उल्लिखित प्राप्त करने वाली परिस्थितियों में-ऊपर-इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि इसका निर्माण किया गया था,

इंजीनियर या निर्मित। इसके अलावा, एक बार (जन्म तिथि)

याचिकाकर्ता के प्रमाण पत्र) प्रथम दृष्टया मनगढ़ंत या छल की भावना नहीं देते हैं, फिर यदि मैं ऐसा कहता हूं, तो इसकी अति जांच के विचार पर विचार करना वास्तव में किशोर न्याय की धारा 8 के दायरे और दायरे में निर्देशित एक भ्रांति होगी।

(बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम और नियम 74 इसके तहत बनाए गए हैं। विशेष रूप से यह भी कि याचिकाकर्ता के पिता का कथन कार्यकारी अधिकारी, नगर समिति हीरानगर और प्रासंगिक आधिकारिक रिकॉर्ड द्वारा दिए गए विवरण के अनुरूप है। इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर ज्यादा गौर नहीं किया जा सकता है या उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। वह यह हैः तिथि

याचिकाकर्ता का जन्म जन्म रजिस्टर में दर्ज किया गया था

बहुत पहले 15-04-2004 पर नगर समिति हीरानगर द्वारा आधिकारिक कार्य के दौरान बनाए रखा गया था। समिति ने इस प्रविष्टि को स्वतः दर्ज नहीं किया, बल्कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में किया। हीरानगर। ऐसी घटना जिसमें याचिकाकर्ता की संलिप्तता का आरोप लगाया गया है, जनवरी 2018 की है। इसलिए उस तारीख [2022] 8 एस. सी. आर. का संकेत देना।

जन्म प्रविष्टि याचिकाकर्ता के पक्ष में इस तरह से की गई जैसे कि वह जानता था कि तेरह साल से अधिक समय बाद वह आपराधिक अभियोग में लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेगा, यह न केवल एक अति-कथन होगा, बल्कि एक गलत बयान भी होगा।

याचिकाकर्ता के पक्ष में संबंधित नगरपालिका समिति द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया पाया जाता है आयु निर्धारण के अन्य तरीकों का सहारा लेने की अनुमति नहीं है। यह अनिवार्य रूप से नियम 74 का जनादेश है।

किशोर न्याय (किशोरों की देखभाल और संरक्षण) के तहत तैयार किया गया

बच्चे) अधिनियम।

इन सब के लिए जो यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, और इसके सम्मान में

अधिनियम की धारा 8 और नियम 74 के उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रमाण का मानक और प्रस्तुत प्रमाण के प्रकाश में, यह माना जाता है कि नगर समिति द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र

याचिकाकर्ता शुबम सांगड़ा के पक्ष में हीरानगर

23-10-2002 के रूप में उसकी जन्म तिथि वैध, बेदाग और निष्पक्ष है और इसलिए किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्य से इसे मान्यता देने की आवश्यकता है। जन्म तिथि की गणना

याचिकाकर्ता की 23-10-2002 के रूप में, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि इस आदेश के पारित होने की तारीख तक याचिकाकर्ता की आयु सोलह वर्ष से कम है। याचिकाकर्ता की आयु तदनुसार अनुपालन में निर्धारित की जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 14-03-2018 के निर्देश के साथ

ओ. डब्ल्यू. पी. नं. 259/2018 .

21. अपीलकर्ता राज्य सी. जे. एम., कठुआ दिनांक 1 द्वारा पारित उक्त आदेश से असंतुष्ट और व्यथित होने के कारण उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक संशोधन आवेदन दायर करके मुझे चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने सीजेएम, कठुआ द्वारा पारित की पुष्टि करते हुए पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें प्रतिवादी को अपराध करने की तारीख पर अपराध माना गया था। विवादित आदेश

ई उच्च न्यायालय इस प्रकार पढ़ता हैः

" 26. मान लीजिए, उत्तरदाता की जन्म तिथि

नगरपालिका रिकॉर्ड के साथ-साथ स्कूल रिकॉर्ड के रूप में दिखाया गया है

23.10.2002 , अर्थात् एफ. आई. आर. दर्ज करने की तिथि पर उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी। मोरेसो, याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त रिकॉर्ड की प्रामाणिकता से इनकार नहीं किया है।

एक बार जब जम्मू और कश्मीर राज्य (अब जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) v में प्रत्यर्थी का स्पष्ट प्रमाण हो। शुबाम संगरा [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

नगरपालिका समिति के जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र के रूप में, प्रतिवादी की उम्र के संबंध में चिकित्सा परीक्षा स्वचालित रूप से अपना महत्व खो देती है।

27. श्री पंत द्वारा उठाया गया अगला प्रश्न पुनरीक्षण याचिका की स्थिरता के संबंध में है। जैसा कि शीर्ष अदालत ने जबर सिंह बनाम दिनेश और एक अन्य 2010 (3) एस. सी. सी. 757 मामले में कहा था, संशोधन का दायरा बहुत सीमित है। प्रासंगिक

फैसले के पैराग्राफ को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 29. अधिनियम की धारा 52 के एक सादे अध्ययन से पता चलता है कि अदालत के किसी भी निष्कर्ष के खिलाफ कोई वैधानिक अपील उपलब्ध नहीं है कि कोई व्यक्ति घटना के समय किशोर नहीं था। अपराध का कमीशन। अधिनियम की धारा 53, जिसे "संशोधन" शीर्षक दिया गया है, हालांकि, यह प्रावधान करता है कि उच्च न्यायालय किसी भी समय, या तो अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या

उस ओर से प्राप्त आवेदन, किसी भी कार्यवाही का रिकॉर्ड मंगाता है जिसमें किसी सक्षम प्राधिकारी या सत्र न्यायालय ने संतुष्ट करने के उद्देश्य से आदेश पारित किया है।

स्वयं ऐसे किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में, और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे। जबकि ऐसी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय खुद को अपीलीय न्यायालय में परिवर्तित नहीं कर सकता है और अभिलेख पर साक्ष्य या सामग्री के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त तथ्य के निष्कर्षों को उलट नहीं सकता है, सिवाय इसके कि उच्च न्यायालय पारित आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में संतुष्ट नहीं है।

विचारण न्यायालय द्वारा "।

28. याचिकाकर्ताओं द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि संशोधन का दायरा दंड प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन के दायरे के समान है। याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट किशोर न्याय अधिनियम, 2013 की धारा 52 में इन तथ्यों का भी उल्लेख किया गया है कि न्यायालय को ऐसे किसी आदेश की वैधता और औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करना होगा, जैसे कि तथ्य के तथ्यात्मक निष्कर्षों को न्यायालय द्वारा तब तक परेशान नहीं किया जा सकता जब तक कि यह विकृत नहीं पाया जाता है। वर्तमान में ऐसे मामले में जहां न्यायालय द्वारा नीचे दिए गए तथ्यात्मक निष्कर्ष दिए गए हैं, इसलिए आदेश में कोई अवैधता या अनुचितता नहीं है, इसलिए नीचे दिए गए न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई सवाल ही नहीं है।

22] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

29. तत्काल मामले में, निचली अदालत ने निष्कर्ष दिया है कि

तथ्य साक्ष्य पर भरोसा करते हुए और 2014 के नियमों के नियम 74 के अनुरूप कार्य किया है और तथ्य के निष्कर्षों में कोई विकृति नहीं है, इस प्रकार, निचली अदालत ने कहा है

इस पुनरीक्षण याचिका में हस्तक्षेप करने के लिए कोई अवैधता या अनुचितता नहीं की है। तदनुसार, इस संशोधन याचिका को संबंधित सी. आर. एल. एम. (ओं) के साथ खारिज कर दिया जाता है।

रिकॉर्ड, यदि कोई हो, तो नीचे भेजा जाए। अंतरिम निर्देश, यदि कोई हो, खाली रहेगा।

ताशी

रबस्तान)

जम्मू

न्यायाधीश "

11.10.2019

22. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी राज्य इससे पहले यहाँ है।

वर्तमान अपील के साथ न्यायालय।

अपीलार्थी राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँः

23. श्री पी. एस. पटवालिया, विद्वान वरिष्ठ वकील

अपीलकर्ता राज्य ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया कि सीजेएम, कठुआ और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को स्पष्ट रूप से गलत कहा जा सकता है और इस तरह न्याय के वितरण का मजाक उड़ाया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने दोनों आदेशों की आलोचना करते हुए कहा कि दोनों अदालतों ने किशोर की उम्र के निर्धारण को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों की आसानी से अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि कोई ठोस, स्पष्ट और विश्वसनीय वृत्तचित्र नहीं है यह सुझाव देने या इंगित करने के लिए कि प्रतिवादी का जन्म 23.10.2002 पर हुआ था, अभिलेख पर साक्ष्य। उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका समिति, हीरा नगर द्वारा पारित एक आदेश की ओर आकर्षित किया।

15.04.2004 ओम प्रकाश संगड़ा के तीन बच्चों की जन्म तिथि और स्थान निर्दिष्ट करना। यह आदेश दिनांक 15.04.2004 एक आवेदन के अनुसार पारित किया गया था जिसे प्रतिवादी के पिता ओम प्रकाश द्वारा धारा 19 (3) के तहत दायर किया गया था। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1956 नियमों के नियम 19 (3) के अनुसार। आदेश इस प्रकार हैः

" जन्म और मृत्यु पंजीकरण के यू/एस 19 (3) के तहत आवेदन

जम्मू-कश्मीर पंजीकरण के नियम 19 (3) के साथ अधिनियम, 1956 (अवैध)

जन्म प्रमाण पत्र का जन्म और मृत्यु (अवैध)

(अवैध) बेटा राहुल संगरा रिया संगरा शुभम संगरा

जिला हीरानगर, तहसील हीरानगर।

जम्मू और कश्मीर राज्य (अब जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) v. शुबाम संगरा [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

आदेश

मैंने आवेदन, शपथ पत्र और उपरोक्त गवाहों के बयानों से यह स्थापित किया गया है कि आवेदक के बेटे राहुल सांगड़ा का (अवैध) मामला ग्राम तहसील हीरानगर में 23-11-97,21-2 98,23-10-02 पर इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए, यह आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त नामित आवेदक की प्रविष्टि की जाए।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है के रजिस्टर में बनाया जाए

जन्म और नियम पंजीकरण के नियम 19 (3) की शर्तें।

बच्चों का विवरण नीचे दिया गया हैः

तिथि और स्थान

एस. नं. नाम

पिता।

जन्म

1. राहुल सांगरा

ओम प्रकाश

23-11-97

आर/ओ हीरानगर

2. रिया संगरा

21-02-98

3. शुबम संगरा

23-10-02

नहिः 22 / जेसी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तिथि 15-4-04

हीरानगर

इस आदेश की प्रति एम. सी. हीरानगर को भेजी जाएगी।

जानकारी और आवश्यक कार्रवाई हेतु।

एसडी /

कार्यकारी

अधिकारी

नगरपालिका

समिति

हीरानगर

"

24. विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि कोई निर्भरता नहीं हो सकती थी

उपरोक्त आदेश पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से रखा गया है कि यहाँ प्रत्यर्थी की जन्म तिथि 23.10.2002 है।

25. हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर खींचा गया कि ओम की पहली संतान

प्रकाश अर्थात् राहुल सांगड़ा का जन्म 23.11.1997 पर हुआ है, जबकि दूसरी संतान अर्थात बेटी अर्थात् रिया सांगड़ा का जन्म 23.01.1998 पर हुआ है, अर्थात सबसे बड़े बच्चे के जन्म की तारीख से सिर्फ तीन महीने के भीतर। प्रत्यर्थी की जन्म तिथि

यहाँ 23.10.2002 दिखाया गया है।

26. उपरोक्त के विपरीत, विद्वान वरिष्ठ वकील को आमंत्रित किया गया था

इस न्यायालय का ध्यान एक जन्म प्रमाण पत्र की ओर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह आधुनिक सार्वजनिक उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा दिनांक 06.09.2017 पर जारी किया गया है। वही इस प्रकार पढ़ता हैः

" आधुनिक सार्वजनिक उच्च माध्यमिक विद्यालय

वार्ड। एन. 10-11 हीरानगर (कठुआ) जम्मू और कश्मीर

जे एंड के सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। और जे एंड के राज्य बोर्ड से संबद्ध

स्कूल

शिक्षा

नहीं।

तिथि

06/09/2017

जन्म प्रमाण पत्र की तिथि

प्रमाणित किया कि शुभम संगरा पुत्र की जन्म तिथि

(शब्दों में) 23 अक्टूबर. दो हजार तीन के अनुसार स्कूल रिकॉर्ड।

उनकी प्रवेश संख्या 1435 है। वह 10 वीं कक्षा में पढ़ रहा था।

पता

डब्ल्यू/नंबर 10, पी. ओ. हीरानगर, तेह हीरानगर,

जिला कठुआ, पिन 184142

ए

सडी /

प्रधाना

चार्य

आधुनिक सार्वजनिक उच्च सेक। स्कूल

हीरानगर

"

27. इस प्रकार, उपरोक्त प्रमाण पत्र में जन्म तिथि को दिखाया गया है -

23.10.2003 हो। इसके बाद हमारा ध्यान प्राथमिक विभाग स्कूल, मॉडर्न पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रवेश वापसी रजिस्टर के एक उद्धरण की ओर आकर्षित किया गया, जो पेपर बुक अनुलग्नक-पी-3 के पृष्ठ 58 पर है, जिसमें प्रतिवादी का नाम धारा संख्या 1757 पर है और जन्म तिथि 23.10.2003 दिखाई गई है।

28. जन्म तिथि में विरोधाभासों को उजागर करने के बाद

ऊपर, विद्वान वरिष्ठ वकील ने जम्मू और कश्मीर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2014, (संक्षेप में, 'नियम, 2014') विशेष रूप से नियम 74 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। नियम 74 आयु निर्धारण के संबंध में है। यद्यपि हमारे उद्देश्य के लिए जो प्रासंगिक है वह नियम, 2014 के नियम 74 का उप-नियम (3) है, फिर भी हम पूरे नियम 74 को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं, जो इस प्रकार हैः

" 74. आयु का निर्धारण। - (1) जब भी कोई आरोप लगाया जाता है

अपराधी जो 21 वर्ष से कम आयु का प्रतीत होता है

बोर्ड नहीं होने के कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, यह

पेश किए जाने की पहली तारीख में ही कथित अपराधी से पूछताछ की जाती है।

उसकी उम्र के बारे में, खुद को संतुष्ट करें कि वह किशोर नहीं है, एक

इसके निष्कर्षों को नोट करें और मामले के तत्काल हस्तांतरण का आदेश दें बोर्ड को जहाँ आवश्यक हो।

(2) जब एक किशोर या बच्चा या एक किशोर के साथ संघर्ष में

बोर्ड या समिति के समक्ष कानून प्रस्तुत किया जाता है

मामला हो सकता है, यह एक के भीतर उसकी उम्र का निर्धारण और घोषणा करेगा

ऐसे उत्पादन की तारीख से तीस दिनों की अवधि।

(3) बोर्ड या समिति, यथास्थिति, इस प्रकार होगी -

जहां तक संभव हो, किशोरावस्था या अन्यथा तय करें, इस आधार पर

भौतिक उपस्थिति या उपलब्ध दस्तावेजों, यदि कोई हो।

बोर्ड या समिति द्वारा एक जांच शुरू की जाती है आयु का निर्धारण, इस तरह की जांच की जाएगी

निम्नलिखित साक्ष्य का आधारः

(i) किसी निगम या नगर समिति या किसी अन्य अधिसूचित प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र; या

((ii) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र; या

((iii) उपखंड (i) और (ii) में उल्लिखित प्रमाणपत्रों के अभाव में या उनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी विरोधाभास के मामले में, आयु के मुद्दे को तय करने वाला प्राधिकरण मामले को संदर्भित कर सकता है।

एक विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड को, जो अपने

निष्कर्ष निकालकर किशोर न्याय बोर्ड को प्रस्तुत करें।

(4) सभी सरकारी अस्पताल चिकित्सा आयु की जांच के लिए चिकित्सा बोर्डों का गठन करेंगे, जिसमें एक शरीर विज्ञानी, एक

दन्त परीक्षक और रेडियोलॉजिस्ट या फोरेंसिक विशेषज्ञ,

जिसे अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। (5) मेडिकल बोर्ड के सभी सदस्य उम्र पर अपने व्यक्तिगत निष्कर्ष देंगे, जिन्हें बाद में बोर्ड के अध्यक्ष को अंतिम राय देने के लिए भेजा जाएगा।

एक वर्ष के अंतराल के भीतर आयु।

(6) विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड इस संबंध में अनुरोध किए जाने के 15 दिनों के भीतर उम्र पर निष्कर्षों के साथ अपनी रिपोर्ट देंगे।

29. विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि नियम 74 का उप-नियम (3) यह स्पष्ट करता है कि किसी भी विरोधाभास के मामले में उप नियम (3) के उपखंड (i) और (ii) में उल्लिखित प्रमाणपत्रों के बीच, आयु निर्धारित करने वाला प्राधिकारी मामले को विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड को भेज सकता है, जो बदले में, अपने निष्कर्षों को दर्ज करेगा और इसे किशोर न्याय बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

30. विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि एक स्पष्ट है

विभिन्न प्रमाणपत्रों के रूप में अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य में विरोधाभास और ऐसी परिस्थितियों में मामले को विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड को भेजा जाना था और अब आयु का निर्धारण चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर किया जाना है जो अभिलेख पर है।

31. विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट होता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य (अब जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) की आयु v.

शुबाम संगरा [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अपराध के समय प्रतिवादी की आयु 19 से 23 वर्ष के बीच हो सकती है।

32. अंत में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि यह मामला एक नाबालिग लड़की पर किए गए बहुत ही जघन्य अपराधों में से एक है

08 वर्षों से। उन्होंने कहा कि यदि किशोरावस्था की याचिका या यह तथ्य कि अभियुक्त ने अपने जघन्य कृत्य के परिणामों को समझने के लिए विवेकाधिकार की आयु प्राप्त नहीं की थी, अस्पष्टता या संदेह से मुक्त नहीं है, तो ऐसी याचिका को केवल आयु का प्रमाण देने वाले संदिग्ध प्रमाण पत्रों पर उठाए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त की आयु निर्धारित करते समय चिकित्सा साक्ष्य को उचित महत्व देना होगा। उपरोक्त संदर्भ में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने रामदेव चौहान उर्फ राज नाथ बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर पूरा भरोसा जताया। असम राज्य (2001) 5 एस. सी. सी. 714।

33. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पटवालिया ने प्रार्थना की कि उनकी अपील में योग्यता होने के कारण, इसकी अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश

अलग रखा जाए और यह अभिनिर्धारित किया जाए कि प्रतिवादी अपराध करने की तारीख को किशोर नहीं था।

प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से प्रस्तुतियाँः

34. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान वकील ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि नहीं

त्रुटि, कानून की किसी भी त्रुटि की बात नहीं करने के लिए कहा जा सकता है कि प्रतिवादी की उम्र निर्धारित करने में नीचे की अदालतों द्वारा किया गया था। उनके अनुसार, नियम 74 के उप-नियम (3) का वर्तमान मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है क्योंकि आयु का प्रमाण देने वाले प्रमाण पत्रों में कोई विरोधाभास नहीं है।

प्रतिवादी अभियुक्त। वह प्रस्तुत करेगा कि प्रतिवादी अभियुक्त का जन्म 23.10.2002 पर हुआ था और यह स्पष्ट है कि वर्ष में मॉडर्न पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, हीरा नगर में प्रवेश लेने के दौरान विधिवत भरे गए प्रतिवादी के प्रवेश पत्र से भी यही स्पष्ट है। 2008. उन्होंने कहा कि जघन्य अपराध चाहे जो भी हो, लेकिन कथित अपराध करने की तारीख को यदि आरोपी नाबालिग है तो उस पर कानून के अनुसार किशोर के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, न कि किसी अन्य आरोपी की तरह। वह प्रस्तुत करेगा कि अपराध की जघन्यता या क्रूरता का किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्य से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि मेडिकल बोर्ड की राय पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि अंततः यह एक विशेषज्ञ की राय है और उम्र के संबंध में निर्णायक नहीं कहा जा सकता है। विद्वान वकील जोरदार [2022] 8 एस. सी. आर.

प्रस्तुत किया कि अदालत इस प्रासंगिक तथ्य पर ध्यान दे सकती है कि मामले में कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज नहीं है जो इंगित करता है कि प्रतिवादी कथित अपराध की तारीख को नाबालिग या बड़ा नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि यदि जन्म तिथि का संकेत देने वाले स्कूल रिकॉर्ड (प्रवेश प्रपत्र) को नियम 74 के उप-नियम (3) (ii) में उल्लिखित श्रेणी में नहीं माना जाता है, तो नगरपालिका समिति द्वारा जारी आदेश संख्या 22/जेसी/प्रमाण पत्र उपलब्ध होने के कारण, नियम 74 (3) (ii) का सहारा लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है।

35. विद्वान वकील ने अपनी उपरोक्त दलीलों के समर्थन में इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा रखाः

(i) अश्विनी कुमार सक्सेना बनाम। मध्य प्रदेश राज्य,

(2012) 9 एससीसी 750

((ii) दरगाराम उर्फ गुंगा बनाम। राजस्थान राज्य,

(2015) 2 एस. सी. सी. 775

36. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि कोई योग्यता नहीं है वर्तमान अपील में, उसी को खारिज किया जा सकता है।

विश्लेषण

37. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, हमारे विचार के लिए एकमात्र सवाल यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने कोई अपराध किया है।

आक्षेपित आदेश पारित करने में त्रुटि?

38. ऊपर पैरा 28 में हमारे द्वारा निर्दिष्ट नियम 74 का उप-नियम (3) यह स्पष्ट करता है कि उल्लिखित प्रमाणपत्रों के अभाव में

उपखंड (i) से (iii) में या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी विरोधाभास की स्थिति में, आयु के मुद्दे को तय करने वाला प्राधिकारी मामले को संदर्भित कर सकता है।

एक विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड को, जो बदले में, अपने निष्कर्षों को दर्ज करेगा और किशोर न्याय बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। अभिलेख पर सामग्री के रूप में

ऊपर हमारे द्वारा देखे जाने पर इस बात में कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यर्थी की जन्म तिथि का खुलासा करने वाले अभिलेख पर प्रमाण पत्रों में विसंगतियां हैं। हम यह समझने में विफल हैं कि नीचे दिए गए न्यायालय ऐसी विसंगतियों या विरोधाभासों का संज्ञान क्यों नहीं ले पाए। हम प्रत्यर्थी की ओर से प्रचार किए गए प्रस्तुतिकरण से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हैं कि भले ही अभिलेख के दस्तावेजी साक्ष्य में विरोधाभास या विसंगतियां हों, जम्मू और कश्मीर राज्य (अब जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) पर एक भी तारीख सामने नहीं आ रही है।

शुबाम संगरा [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अभिलेख जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी था

कथित अपराध की तारीख को मेजर। यह बहुत अनुचित है

तर्क। यह मूल मुद्दे को देखने का सही तरीका नहीं है। मूल मुद्दे को देखने का सही तरीका यह है कि बारीकी से जांच की जाए कि क्या प्रतिवादी अभियुक्त की सही जन्म तिथि के संबंध में कोई ठोस या विश्वसनीय सबूत है और इसका पता लगाने के बाद, एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचे। यदि, इस संबंध में कोई संदेह है, तो कोई उचित कारण नहीं है कि मामले को विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड को नहीं भेजा जाना चाहिए, जो बदले में, अपने निष्कर्षों को दर्ज करेगा और किशोर न्याय बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। नियम 74 के उप-नियम (3) के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए "मई" शब्द को "होगा" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

39. यह व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि 'मई' शब्द का उपयोग जब किसी कानून में किया जाता है तो वह अपने आप में निर्देशिका के अर्थ को नहीं दर्शाता है। यदि किसी विशेष मामले में, समानता और न्याय के हित में अदालत को यह प्रतीत होता है कि विधायिका का इरादा एक वैधानिक कर्तव्य को व्यक्त करना है, तो 'हो सकता है' शब्द का उपयोग अदालत को इसे अनिवार्य रंग देने से नहीं रोकेगा। बच्चन में यह अदालत

देवी वी. नगर निगम, गोरखपुर ने (2008) 12 एस. सी. सी. 372 में रिपोर्ट किया, जो इस प्रकार हैः

" 18. यह अच्छी तरह से तय है कि एक वैधानिक प्रावधान में "हो सकता है" शब्द का उपयोग अपने आप में यह नहीं दिखाएगा कि प्रावधान प्रकृति में निर्देशिका है। कुछ मामलों में, विधायिका शुद्ध पारंपरिक शिष्टाचार के मामले में "मई" शब्द का उपयोग कर सकती है और फिर भी एक अनिवार्य बल का इरादा रखती है। इसलिए, "मई" शब्द के कानूनी महत्व की व्याख्या करने के लिए, अदालत को विभिन्न कारकों पर विचार करना होगा, अर्थात्, अधिनियम का उद्देश्य और योजना, संदर्भ और पृष्ठभूमि जिसके खिलाफ शब्दों का उपयोग किया गया है, उद्देश्य और लाभ।

इस शब्द के उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है, और इसी तरह। यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि जहां "हो सकता है" शब्द में एक दायित्व के साथ एक विवेकाधिकार शामिल है या जहां यह एक उपयोगिता अधिनियम में विषयों के एक सामान्य वर्ग को सकारात्मक लाभ प्रदान करता है, या जहां अदालत एक उपाय को आगे बढ़ाती है और

शरारत, या जहाँ निर्देशिका शब्दों को महत्व देना अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा, वहाँ "हो सकता है" शब्द की व्याख्या एक अनिवार्य बल को व्यक्त करने के लिए की जानी चाहिए। एक सामान्य नियम के रूप में, "मई" शब्द अनुमति देने वाला और लागू करने वाला है।

विवेकाधिकार और विशेष रूप से, जहां इसका उपयोग संयोजन [2022] 8 एस. सी. आर. में किया जाता है।

"होगा" शब्द के लिए, जो आम तौर पर अनिवार्य है

एक कर्तव्य लागू करता है। हालाँकि, मामले नहीं चाह रहे हैं जहाँ

"मे", "विल" और "मस्ट" शब्दों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। यह पता लगाने के लिए कि क्या इन शब्दों का उपयोग किया जा रहा है

निर्देशिका या एक अनिवार्य अर्थ में, विधायिका का इरादा

प्रासंगिक परिस्थितियों के साथ देखा जाना चाहिए।

" "

40. इसी तरह, यह न्यायालय धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम। राज्य

पी. ने (2007) 8 एस. सी. सी. 338 में सूचित कियाः

" 36. ..... हमारे निर्णय में, केवल "हो सकता है" या "होगा" शब्द का उपयोग।

निर्णायक नहीं है। सवाल कि क्या कोई विशेष प्रावधान है

एक क़ानून की निर्देशिका या अनिवार्य है जिसे इसके द्वारा हल नहीं किया जा सकता है

सार्वभौमिक अनुप्रयोग के किसी भी सामान्य नियम को निर्धारित करना। इस तरह

विवाद का फैसला इरादे का पता लगाकर किया जाना चाहिए।

यदि प्रावधान पढ़ा जाता है तो इसके परिणामस्वरूप होने वाली या होने वाली असुविधा एक या दूसरे तरीके से और कई और प्रासंगिक विचार

इस मुद्दे पर "।

41. हम अधिनियम, 2013 की धारा 8 का भी उल्लेख कर सकते हैं। धारा 8

पालन की जाने वाली प्रक्रिया के लिए, जब किशोरता का दावा है

घ. किसी भी न्यायालय के समक्ष। धारा 8 इस प्रकार हैः

" 8. किशोरावस्था का दावा किए जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

किसी भी अदालत के सामने। - (1) जब भी किशोरावस्था का दावा किया जाता है किसी भी अदालत या अदालत के समक्ष यह राय है कि एक अभियुक्त

व्यक्ति अपराध करने की तारीख को किशोर था,

न्यायालय जाँच करेगा, ऐसा साक्ष्य लेगा जो हो सके

आयु निर्धारित करने के लिए आवश्यक (लेकिन एक शपथ पत्र नहीं)

ऐसे व्यक्ति का, और एक निष्कर्ष दर्ज करेगा कि क्या व्यक्ति वह किशोर है या नहीं, अपनी उम्र को लगभग बताते हुए:

बशर्ते कि किशोरावस्था का दावा पहले किया जा सकता है

किसी भी न्यायालय और इसे किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी, इसके बाद भी

मामले का अंतिम निपटान और इस तरह के दावे का निर्धारण किया जाएगा।

अधिनियम और नियमों में निहित प्रावधानों के संदर्भ में

इसके तहत बनाया गया, भले ही किशोर का होना बंद हो गया हो या अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पहले।

(2) यदि अदालत किसी व्यक्ति को उप-धारा (1) के तहत अपराध करने की तारीख को किशोर पाती है, तो वह

किशोर को उचित आदेश पारित करने के लिए बोर्ड के पास भेजा जाएगा और अदालत द्वारा पारित सजा, यदि कोई हो,

माना जाता है कि इसका कोई प्रभाव नहीं है। "

42. ऊपर उल्लिखित धारा 8 का सादा पाठ इंगित करता है कि जब भी किसी न्यायालय या न्यायालय के समक्ष किशोरता का दावा किया जाता है तो

इस राय के कि अभियुक्त व्यक्ति अपराध करने की तारीख को किशोर था, तो अदालत के लिए जांच करना अनिवार्य है और ऐसी जांच के दौरान, अदालत ऐसा साक्ष्य ले सकती है जो आवश्यक हो, हालांकि, एक हलफनामा नहीं, ताकि ऐसे व्यक्ति की उम्र निर्धारित की जा सके। जाँच के अंत में, यदि अदालत धारा 8 की उप धारा (1) के तहत अपराध करने की तारीख को किसी व्यक्ति को किशोर पाती है, तो ऐसी परिस्थिति में, अदालत उचित आदेश और सजा देने के लिए किशोर को किशोर न्याय बोर्ड को भेजने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।

43. हम अधिनियम, 2013 की धारा 48 पर भी विचार कर सकते हैं। धारा 48 आयु के अनुमान और निर्धारण के संबंध में है। धारा 48

इस प्रकार पढ़ता हैः

" 48. आयु का अनुमान और निर्धारण। — (1) जहां किसी सक्षम प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत (साक्ष्य देने के उद्देश्य के अलावा) उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति किशोर या बच्चा है,

सक्षम प्राधिकारी उस व्यक्ति की उम्र के बारे में उचित जांच करेगा और उस उद्देश्य के लिए ऐसा साक्ष्य लेगा जो आवश्यक हो (लेकिन एक शपथ पत्र नहीं) और

यह पता लगाना कि वह व्यक्ति किशोर है या बच्चा है या नहीं,

अपनी उम्र को लगभग जितना हो सके बता रहे हैं।
(2) किसी सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश केवल किसी भी बाद के प्रमाण से अमान्य नहीं माना जाएगा कि व्यक्ति

जिनके संबंध में आदेश दिया गया है वह किशोर या बच्चा नहीं है, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा दर्ज की गई आयु

अधिनियम के प्रयोजन के लिए, इस प्रकार उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की आयु, उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी।
व्यक्ति। "

44. ऊपर उल्लिखित धारा 48 एक सक्षम प्राधिकारी के बारे में बात करती है, जबकि, ऊपर निर्दिष्ट अधिनियम 2013 की धारा 8, [2022] 8 एस. सी. आर. के संबंध में है।

अदालत। हालाँकि, ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों धाराओं यानी धारा 8 के साथ-साथ धारा 48 में 'होगा' शब्द का उपयोग किया गया है।

45. इस विषय का एक अन्य पहलू भी है। यह उच्च न्यायालय है जिसने हमारे द्वारा निर्दिष्ट 21.02.2018 दिनांकित आदेश पारित करना उचित समझा। पैरा 9 में विशेष जांच दल (एस. आई. टी.) को प्रतिवादी की आयु का पता लगाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। यह उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए ऐसे निर्देशों के अनुसरण में है कि विभिन्न विषयों पर पांच चिकित्सा विशेषज्ञों से युक्त एक विशेष चिकित्सा बोर्ड का गठन किया गया था और यह पांच चिकित्सा विशेषज्ञों से युक्त एक चिकित्सा बोर्ड है जिसकी रिपोर्ट हम अब तक देख रहे हैं। जब हम इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि कथित अपराध की तारीख को प्रतिवादी अभियुक्त की जन्म तिथि या उम्र के संबंध में रिकॉर्ड पर कोई ठोस और विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है, तो हमारे लिए विशेष चिकित्सा बोर्ड द्वारा तैयार की गई चिकित्सा रिपोर्ट को न देखने या अनदेखा करने का कोई उचित कारण नहीं है, जो रिकॉर्ड में है।

ऐसी परिस्थितियों में, तर्क की ओर से प्रचार किया गया

नियम 74 के उप-नियम (3) (iii) के लागू होने के संबंध में प्रतिवादी महत्वहीन हो जाता है। दूसरे शब्दों में, यह तर्क कि विशेष चिकित्सा बोर्ड का गठन नहीं किया जाना चाहिए था, महत्वहीन हो जाता है क्योंकि विशेष बोर्ड का गठन उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत किया गया था।

46. आइए देखें कि इस न्यायालय का दर्गा राम @गुंगा (उपरोक्त) के मामले में क्या कहना है, जिस पर प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील की ओर से मजबूत निर्भरता रखी गई है। दरगाह राम @गंगा (ऊपर) में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 16. विधिवत गठित बोर्ड द्वारा दी गई चिकित्सकीय राय

एनाटॉमी, रेडियोडायग्नोसिस के प्रोफेसर और

फोरेंसिक मेडिसिन ने जाँच की तारीख को उनकी आयु लगभग 33 वर्ष निर्धारित की है। बोर्ड ने नहीं किया

चिकित्सा पर अपीलार्थी की सही उम्र देने में सक्षम

जाँच, चाहे उस क्षेत्र में कितनी भी प्रगति हो। ऐसा होने पर, नियम 12 (3) (बी) के संदर्भ में अपीलार्थी निचली तरफ अपनी उम्र तय करने के लाभ का भी हकदार हो सकता है। एक वर्ष का अंतराल यदि न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसा करना आवश्यक समझता है। जरूरत है।

हालाँकि ऐसी किसी भी वैधानिक रियायत के लिए उत्पन्न नहीं हो सकता है।

क्योंकि भले ही द्वारा निर्धारित अनुमानित आयु

मेडिकल बोर्ड को जम्मू और कश्मीर (अब जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) की अपीलकर्ता ई स्टेट की सही/सही उम्र के रूप में लिया जाता है।

शुबाम संगरा [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

वह उस तारीख को लगभग 17 साल और 2 महीने का था।

घटना और इस प्रकार उस अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर एक किशोर जैसा कि उपरोक्त अधिनियम में उपयोग किया गया है। कहने के बाद

कि हम यह देखने में मदद नहीं कर सकते कि हमने बहुत अधिक महसूस नहीं किया है

चिकित्सकीय जाँच। 17. आयु निर्धारण के बारे में सामान्य नियम यह है कि निर्धारित की गई आयु दो वर्ष से अधिक हो सकती है, लेकिन बोर्ड ने मामले में छह वर्ष की अवधि में विस्तार किया है और अपीलार्थी की आयु 33 वर्ष तय करने का एक साधन लिया है। हम.

सुनिश्चित नहीं हैं कि क्या यह अपीलार्थी की आयु का अनुमान लगाने का सही तरीका है। आयु के अनुमान के बारे में जो बात हमें आश्वस्त करती है वह यह है कि यह एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है।

एनाटॉमी, रेडियोडायग्नोसिस के प्रोफेसर और

घटना की तारीख को महीने और 7 दिन लेकिन ऐसा अनुमान केवल एक अनुमान होगा और अपीलार्थी कम करने के मामले में एक वर्ष के अतिरिक्त लाभ का हकदार हो सकता है। नियम 12 (3) (बी) (उपर्युक्त) के संदर्भ में उसकी आयु एक वर्ष तक जो

तब वह 17 साल और 2 महीने का हो जाएगा,

इसलिए, एक किशोर "।

47. दूसरी ओर, अपीलार्थी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा मुकर्रब बनाम के मामले में दरगाराम @Gunga (ऊपर) पर विचार किया गया था। प्रदेश राज्य (2017) 2 एस. सी. सी. 210, और मुकर्रब (ऊपर) में यह न्यायालय

वेद निम्नानुसार हैः

" 22. दरगाराम मामले में उपरोक्त निर्णय का अध्ययन

(ऊपर) से पता चलता है कि अदालतों को इस तथ्य से अवगत होने की आवश्यकता है कि

संबंधित व्यक्तियों की आयु निर्धारित नहीं की जा सकती है निश्चित रूप से मूल और वैध के अभाव में पता लगाया गया

दस्तावेजी प्रमाण और हमेशा एक संभावना होगी [2022] 8 एस. सी. आर.

कि संबंधित व्यक्ति की आयु प्लस या माइनस भिन्न हो सकती है

दो साल। चिकित्सकीय राय की उपस्थिति में भी, न्यायालय ने अभियुक्त की किशोरता की ओर झुकाव दिखाया। हालाँकि, यह ध्यान रखना उचित है कि दर्गा राम में इस तरह का दृष्टिकोण है।

मामला (ऊपर) विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में लिया गया था

उस विशेष मामले और सामान्यीकरण का कोई भी प्रयास

उक्त दृष्टिकोण का उचित रूप से मनोरंजन नहीं किया जा सकता है।

48. इस प्रकार, मुकर्रब (ऊपर) में, इस न्यायालय ने खुद को स्पष्ट कर दिया कि उस मामले के विशिष्ट तथ्यों और तथ्यों और उक्त मामले को सामान्य बनाने के किसी भी प्रयास में राम @गंगा (ऊपर) को प्रस्तुत किया गया था।

अच का उचित रूप से मनोरंजन नहीं किया जा सका।

49. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम स्पष्ट कर सकते हैं कि दर्गा राम इंगा (ऊपर), किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) के तहत था।

विल्डरन) अधिनियम, 2000 (संक्षेप में, 'अधिनियम, 2000')। हम पालन की जाने वाली प्रक्रिया की योजना को उचित सम्मान दे सकते हैं, जब

अधिनियम, 2000 के तहत योग्यता बढ़ाई गई है।

50. अधिनियम, 2000 की धारा 7 ए निम्नानुसार हैः

" 7 ए. किशोरावस्था का दावा किए जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

किसी भी न्यायालय के समक्ष

(1) जब भी किसी अदालत या अदालत के समक्ष किशोरता का दावा किया जाता है तो यह राय होती है कि एक अभियुक्त व्यक्ति एक था

अपराध करने की तारीख को किशोर, अदालत

जाँच करेगा, ऐसा साक्ष्य लेगा जो आवश्यक हो।

(लेकिन एक शपथ पत्र नहीं) ताकि इस तरह की उम्र निर्धारित की जा सके

व्यक्ति, और एक निष्कर्ष दर्ज करेगा कि क्या व्यक्ति एक है

किशोर हो या बच्चा हो या न हो, उसकी आयु लगभग जितनी हो सके बताएँ।

होनाः

बशर्ते कि किशोरावस्था का दावा किसी से भी पहले किया जा सकता है

न्यायालय और इसे किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी, अंतिम निर्णय के बाद भी।

मामले का निपटान, और इस तरह के दावे में निर्धारित किया जाएगा इस अधिनियम और नियमों में निहित प्रावधानों की शर्तें

इसके तहत किया गया है, भले ही किशोर इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले ऐसा होना बंद कर दिया हो। (2) यदि अदालत किसी व्यक्ति को उस तारीख को किशोर पाती है

उप-धारा (1) के तहत अपराध करना, यह

नाबालिक को उचित जम्मू और कश्मीर राज्य (अब जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) v उत्तीर्ण करने के लिए बोर्ड को अग्रेषित करें। शुबाम संगरा [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

न्यायालय द्वारा पारित आदेश और सजा, यदि कोई हो, माना जाता है कि इसका कोई प्रभाव नहीं है।

51. धारा 7 ए के पढ़ने से जो बात बहुत स्पष्ट हो जाती है वह है

एन.52. आयु निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को 2007 के नियमों के नियम 12 (3) (बी) के तहत घटाया गया है, जो इस प्रकार है:

" 12. आयु निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। — (3)

संघर्ष में किसी बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में कानून, आयु निर्धारण जांच द्वारा संचालित किया जाएगा

न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति द्वारा

प्राप्त करके साक्ष्य की मांग करना

(ए) (i) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और जिसके अभाव में; ((ख)

विद्यालय से जन्म प्रमाण पत्र की तिथि (अन्य) एक प्ले स्कूल की तुलना में) पहले भाग लिया; और में

जिसकी अनुपस्थिति;

निगम या निगम द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र

(iii)

नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत;

(बी) और केवल उपरोक्त खंड (ए) के (i), (ii) या (iii) में से किसी एक के अभाव में, विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा राय ली जाएगी, जो किशोर या बच्चे की उम्र घोषित करेगा। यदि आयु का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति, उनके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, यदि आवश्यक समझा जाए, तो बच्चे या किशोर को एक वर्ष के अंतराल के भीतर कम आयु पर विचार करके लाभ दे सकती है।

और,

ऐसे साक्ष्य पर विचार करना जो उपलब्ध हो, या चिकित्सीय राय, जैसा भी मामला हो, इस संबंध में एक निष्कर्ष दर्ज करें।

उसकी उम्र और [2022] 8 एस. सी. आर. में से किसी में भी निर्दिष्ट साक्ष्य।

खंड (ए) (आई), (ii), (iii) या जिसके अभाव में, खंड (बी) ऐसे बच्चे के संबंध में उम्र का निर्णायक प्रमाण होगा।

या कानून के साथ संघर्ष में किशोर।

53. उपरोक्त नियम के उपखंड (3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी अभियुक्त की किशोरावस्था के बारे में जांच करते समय किशोर न्याय बोर्ड मैट्रिक या स्नातक की परीक्षा प्राप्त करके साक्ष्य मांगेगा।

समतुल्य प्रमाण पत्र और जिसके अभाव में स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख पहली बार उपस्थित हुई और जिसके अभाव में किसी निगम या नगर निगम प्राधिकरण या नगर निगम द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र। पंचायत। उपखंड (ख) द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि केवल उपरोक्त तीन दस्तावेजों के अभाव में चिकित्सा जानकारी मांगी जाएगी।

विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड से जो किशोर या बच्चे की आयु घोषित करेगा। इस प्रकार, यह केवल उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में है कि किशोर न्याय बोर्ड चिकित्सा जानकारी/अस्थाईकरण के लिए पूछ सकता है।

परीक्षण।

54. ऊपर उल्लिखित मुकर्रब (उपरोक्त) भी अधिनियम के तहत था।

2000 .

55. अब हम अश्विनी कुमार सक्सेना (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर गौर करेंगे, जिसमें इस न्यायालय ने पैरा में टिप्पणी की थी।

34 निम्नानुसारः

" 34. ..... ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ प्रविष्टि की गई हो

निगम या नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र या पंचायत सही नहीं हो सकती है। लेकिन अदालत, किशोर न्याय

बोर्ड या जेजे अधिनियम के तहत काम करने वाली समिति नहीं है

इस तरह की घूमती हुई जांच करने और पीछे हटने की उम्मीद है

उन प्रमाणपत्रों की शुद्धता की जांच करने के लिए

व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के दौरान रखे गए दस्तावेज। केवल

ऐसे मामलों में जहां वे दस्तावेज या प्रमाण पत्र पाए जाते हैं

अदालत, किशोर न्याय को मनगढ़ंत या हेरफेर किया जाए

बोर्ड या समिति को आयु के लिए चिकित्सा रिपोर्ट के लिए जाने की आवश्यकता है

दृढ़ संकल्प "।

56. अश्वनी कुमार सक्सेना (ऊपर उल्लिखित) भी अधिनियम, 2000 से संबंधित हैं।

57. उपरोक्त का अवलोकन करने के बाद इस न्यायालय ने अश्विनी कुमार में

सक्सेना (ऊपर) ने जम्मू और कश्मीर राज्य (अब जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) बनाम के बीच आवश्यक अंतरों की जांच करने के लिए आगे बढ़े।

शुबाम संगरा [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

उन प्रमाणपत्रों को उनकी शुद्धता की जांच करने के लिए जब उन दस्तावेजों को व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के दौरान रखा गया है। अदालत ने कहा कि कि स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र सहित दस्तावेजों की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी और इस संबंध में कोई कठोर और त्वरित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रमाणपत्रों को इस धारणा पर संदिग्ध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि माता-पिता आमतौर पर प्रवेश रजिस्टरों में गलत जन्म तिथि दर्ज कराते हैं। अश्विनी कुमार सक्सेना (उपरोक्त) के निर्णय पर प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान वकील ने अपनी इस दलील को सही ठहराने के लिए कड़ी मेहनत की है कि अदालत को एक घुमावदार जांच नहीं करनी चाहिए और रिकॉर्ड पर दस्तावेजी साक्ष्य से परे जाना चाहिए।

58. यह न्यायालय ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2022) 8 एस. सी. सी. 602, अपने निम्नलिखित पिछले निर्णयों पर उचित विचार करने के बादः

पराग भाटी बनाम। यू. पी. राज्य,

((i)

(2016) 12 एससीसी 744,

((ii) संजीव कुमार गुप्ता बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य,

(2019) 12 एससीसी 370,

(iii) अबुज़र हुसैन @गुलाम हुसैन बनाम। पश्चिमी राज्य

बंगाल,

(2012) 10 एससीसी 489,

((iv) अश्विनी कुमार सक्सेना बनाम। मध्य प्रदेश राज्य,

(2012) 9 एससीसी 750,

(v)

बबलू पासी बनाम। झारखंड राज्य,

(2008) 13 एस. सी. सी. 133, [2022] 8 एस. सी. आर.

(vi) अर्नीत दास बनाम। बिहार राज्य,

(2000) 5 एससीसी 488,

(vii) जितेंद्र राम उर्फ जीतू बनाम। झारखंड राज्य,

(2006) 9 एससीसी 428।

दोनों अधिनियमों, अर्थात् अधिनियम, 2000 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संक्षेप में, 'अधिनियम, 2015') के तहत प्रक्रिया में अंतर की ओर इशारा किया, जिसमें किशोर की उम्र के निर्धारण की जांच के साथ-साथ बच्चों की देखभाल करने की शक्ति भी शामिल है। सबूत की तलाश करें, उस शक्ति का उपयोग कैसे और कब करना है और ऑसिफिकेशन परीक्षण के लिए कब जाना है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्येक मामले को उसके अपने विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में निपटा जा सकता है, जबकि कुछ सिद्धांतों को मार्गदर्शक कारक के रूप में ध्यान में रखा जा सकता है जैसा कि संविधान में वर्णित है।

इस न्यायालय के निर्णय का समापन पैरा। हम समापन पैरा को थोड़ी देर बाद फिर से लिखेंगे।

59. ऋषिपाल सिंह सोलंकी (ऊपर) में, इस न्यायालय ने मूल प्रावधानों के रूप में जेजे नियम, 2007 के नियम 12 और अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उप-धारा (2) के बीच समानता की ओर इशारा किया। इस अदालत ने अश्विनी कुमार सक्सेना (उपरोक्त) और अबुजर हुसैन (उपरोक्त) मामले में अपने फैसलों का उल्लेख करते हुए इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि केवल उन मामलों में जहां प्रमाण पत्रों को मनगढ़ंत और हेरफेर किया गया है, किशोर न्याय बोर्ड को चिकित्सा रिपोर्ट के लिए जाने की आवश्यकता है और

इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि स्कूल प्रमाणपत्रों पर भरोसा करने का पैमाना थोड़ा अलग हो सकता है जहां स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या मतदाता सूची आदि दोषी ठहराए जाने के बाद प्राप्त किया जाता है।

60. इस प्रकार, इस न्यायालय ने किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के उत्पादन से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखा, इससे पहले कि उन दस्तावेजों को लागू किया जा सके।

पर भरोसा किया। दूसरे शब्दों में, भले ही दस्तावेज़ प्रथम दृष्टया सही पाए जाते हैं, ऐसे तथ्य और परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो न्यायालय को जांच में जाने के लिए सचेत कर सकें ताकि दावे की शुद्धता के बारे में खुद को संतुष्ट किया जा सके। उसी सांस में, इस न्यायालय ने अबुज़र हुसैन के फैसले में दी गई एक राय का उल्लेख किया कि जब कोई दावेदार या माता-पिता या भाई-बहनों में से कोई पहली बार अपील या संशोधन में उठाए गए किशोरता के दावे के समर्थन में केवल हलफनामे पर निर्भर करता है, तो यह उम्र के निर्धारण के लिए जांच को सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद न हों जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

जम्मू और कश्मीर राज्य (अब जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) v. शुबाम संगरा [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

61. संजीव कुमार गुप्ता (ऊपर) में, के उद्देश्य के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता

अधिनियम, 2000 की धारा 7 (ए) के तहत आयु निर्धारण पर विचार किया गया। उक्त मामले में, किशोर न्याय बोर्ड ने किशोरता के दावे को खारिज कर दिया था और किशोर न्याय बोर्ड के उस फैसले को इस अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करके बहाल कर दिया था। इसमें यह देखा गया कि C.B.S.E द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड विशुद्ध रूप से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय द्वारा भेजी गई छात्रों की अंतिम सूची के आधार पर थे, जहां किशोर ने कक्षा 5 से 10 तक पढ़ाई की थी और

किसी अन्य अंतर्निहित दस्तावेजों के आधार पर नहीं। दूसरी ओर, जन्म तिथि का स्पष्ट और निर्विवाद प्रमाण था जो किसी अन्य विद्यालय के अभिलेखों में दर्ज किया गया था, जिसमें दूसरा प्रतिवादी कक्षा 4 तक उपस्थित रहा था और जिसका समर्थन अभियुक्त द्वारा दोनों प्राप्त करते समय किए गए स्वैच्छिक प्रकटीकरण द्वारा किया गया था।

आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। यह देखा गया कि मैट्रिक प्रमाणन में परिलक्षित जन्म तिथि को इस रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है प्रामाणिक या विश्वसनीय। उक्त मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दूसरे प्रतिवादी की जन्म तिथि 17.12.1995 थी और वह किशोरता का दावा करने का हकदार नहीं था क्योंकि कथित घटना की तिथि 18.08.2015 थी।

62. संजीव कुमार गुप्ता (ऊपर) मामले में इस अदालत ने अश्विनी कुमार सक्सेना (ऊपर) और अबुजर हुसैन @के फैसलों पर विचार किया।

गुलाम हुसैन (ऊपर), और देखा कि विश्वसनीयता और

स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र सहित दस्तावेजों की स्वीकार्यता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी और इस संबंध में कोई कठोर और त्वरित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय ने अबुज़र हुसैन @गुलाम हुसैन (ऊपर) में अपने अवलोकन को दोहराया जो नीचे दिया गया है:

" 48. जाँच का निर्देश देना अभियुक्त को किशोर घोषित करने के समान नहीं है। आवश्यक प्रमाण का मानक

यह दोनों के लिए अलग है। पूर्व में, अदालत केवल प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज करती है। उत्तरार्द्ध में, अदालत एक

साक्ष्य पर घोषणा, कि यह जांच करता है और केवल तभी स्वीकार करता है जब वह ऐसी स्वीकृति के योग्य हो।

63. अबुज़र हुसैन (ऊपर) भी अधिनियम, 2000 के तहत है।

64. ऋषिपाल सिंह सोलंकी (ऊपर) में, उचित विचार के बाद

अपने पहले के सभी फैसलों में से, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 33. उपरोक्त निर्णयों पर संचयी रूप से विचार करने पर जो सामने आता है वह इस प्रकार हैः

33.1 . किशोरता का दावा आपराधिक कार्यवाही के किसी भी चरण में, मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी उठाया जा सकता है। किशोरावस्था के दावे को उठाने में देरी इस तरह के दावे को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है। इसे पहली बार इस न्यायालय के समक्ष भी उठाया जा सकता है।

33.2 . किशोरावस्था का दावा करने वाला आवेदन या तो अदालत या जेजे बोर्ड के समक्ष किया जा सकता है।

33.2. 1 . जब किशोरावस्था का मुद्दा किसी न्यायालय के समक्ष आता है, तो यह जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 9 की उप-धारा (2) और (3) के तहत होगा, लेकिन जब किसी व्यक्ति को समिति के समक्ष लाया जाता है।

या जेजे बोर्ड, जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 लागू होती है।

33.2. 2 . यदि किशोरावस्था का दावा करते हुए न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उप-धारा (2) के प्रावधान को धारा 9 की उप-धारा (2) के साथ लागू या पढ़ना होगा ताकि व्यक्ति की आयु को लगभग बताने वाले निष्कर्ष को दर्ज करने के उद्देश्य से साक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

33.2. 3 . जब जे. जे. अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत किशोर होने का दावा करने वाला आवेदन जे. जे. बोर्ड के समक्ष किया जाता है, जब कथित अपराध के संबंध में मामला अदालत के समक्ष लंबित होता है, तो जे. जे. अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत विचार की गई प्रक्रिया लागू होगी। उक्त प्रावधान के तहत यदि जेजे बोर्ड के पास संदेह के लिए उचित आधार हैं चाहे उसके सामने लाया गया व्यक्ति बच्चा हो या नहीं, बोर्ड साक्ष्य मांगकर आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा और जेजे बोर्ड द्वारा दर्ज की गई आयु उस व्यक्ति की आयु होगी जिसे इस तरह उसके सामने लाया गया है।

जेजे अधिनियम, 2015 के उद्देश्य को उस व्यक्ति की वास्तविक आयु माना जाए। अतः इस प्रकार में आवश्यक प्रमाण की मात्रा

जेजे बोर्ड के समक्ष कार्यवाही, जब किशोरता के दावे के लिए एक आवेदन दायर किया जाता है जब मुकदमा के समक्ष होता है

संबंधित आपराधिक न्यायालय, उस न्यायालय द्वारा जांच किए जाने की तुलना में अधिक होता है जिसके समक्ष संबंधित मामला

अपराध का कार्य लंबित है (जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 9 के अनुसार)।

जम्मू और कश्मीर का राज्य (अब जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) v. शुबाम संगरा [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

33.3 . कि जब किशोरता का दावा किया जाता है, तो अदालत को संतुष्ट करने के लिए दावा करने वाले व्यक्ति पर बोझ होता है प्रारंभिक बोझ का निर्वहन करें। हालांकि, दस्तावेज

जेजे अधिनियम, 2000 या इसकी उप-धारा (2) के तहत बनाए गए जेजे नियम 2007 के नियम 12 (3) (ए) (आई), (ii) और (iii) में उल्लिखित है।

न्यायालय की संतुष्टि। उपरोक्त के आधार पर दस्तावेजों में किशोरावस्था का अनुमान लगाया जा सकता है।

33.4 . यद्यपि उक्त अनुमान निर्णायक प्रमाण नहीं है।

किशोरावस्था की आयु और उसी का खंडन विपरीत पक्ष द्वारा दिए गए विपरीत साक्ष्य द्वारा किया जा सकता है।

33.5 . कि न्यायालय द्वारा जाँच की प्रक्रिया नहीं है

न्यायालय प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज करता है लेकिन जब 2015 अधिनियम की धारा 94 की उप-धारा (2) के अनुसार आयु का निर्धारण, साक्ष्य के आधार पर एक घोषणा की जाती है।

साथ ही जेजे बोर्ड द्वारा दर्ज की गई आयु को उसके सामने लाए गए व्यक्ति की वास्तविक आयु माना जाएगा। इस प्रकार, एक जांच में सबूत का मानक एक जांच में आवश्यक प्रमाण से अलग होता है।

कार्यवाही जहाँ किसी व्यक्ति की आयु का निर्धारण और घोषणा साक्ष्य के आधार पर की जानी है।

जाँच की जाती है और केवल तभी स्वीकार किया जाता है जब ऐसी स्वीकृति के योग्य हो।

33.6 . कि यह निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है

किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए अमूर्त सूत्र। इसे करना पड़ता है।

अभिलेख पर और प्रशंसा पर सामग्री के आधार पर होना

प्रत्येक मामले में पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य।

33.7 . इस न्यायालय ने कहा है कि एक अति-तकनीकी

जब साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए

अभियुक्त की ओर से इस दलील के समर्थन में कि वह एक किशोर था।

33.8 . यदि एक ही साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, तो अदालत को आरोपी को किशोर ठहराने के पक्ष में झुकना चाहिए।

सीमा रेखा मामलों में। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जेजे अधिनियम, 2015 का लाभ किशोरों पर लागू किया जाए। कानून के साथ संघर्ष। साथ ही, न्यायालय को [2022] 8 एस. सी. आर. सुनिश्चित करना चाहिए।

कि जेजे अधिनियम, 2015 का व्यक्तियों द्वारा बचने के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाता है

गंभीर अपराध करने के बाद सजा।

33.9 . कि जब आयु का निर्धारण स्कूल रिकॉर्ड जैसे साक्ष्य के आधार पर होता है, तो यह आवश्यक है कि वही

भारतीय संविधान की धारा 35 के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।

साक्ष्य अधिनियम, किसी भी सार्वजनिक या आधिकारिक दस्तावेज के रूप में आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में निजी दस्तावेजों की तुलना में अधिक विश्वसनीयता होगी।

33.10 . कोई भी दस्तावेज़ जो जनता के अनुरूप हो

दस्तावेज, जैसे मैट्रिक प्रमाणपत्र, हो सकते हैं

न्यायालय या जे. जे. बोर्ड द्वारा स्वीकार किए गए ऐसे सार्वजनिक प्रावधान

दस्तावेज़ के प्रावधानों के अनुसार विश्वसनीय और प्रामाणिक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। , धारा 35 और अन्य प्रावधान।

33.11 . ओस्सिफिकेशन टेस्ट उम्र के लिए एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है।

आयु के संबंध में निर्धारण और एक यांत्रिक दृष्टिकोण

व्यक्ति को केवल चिकित्सा के आधार पर गोद नहीं लिया जा सकता है।

रेडियोलॉजिकल परीक्षा द्वारा राय। इस तरह के सबूत हैं -

निर्णायक साक्ष्य नहीं बल्कि केवल एक बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शक कारक है

में उल्लिखित दस्तावेजों की अनुपस्थिति में विचार किया जाना

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 (2)। " 65. ऋषिपाल सिंह सोलंकी (ऊपर) अधिनियम, 2015 के तहत है।

66. अधिनियम, 2013 की धारा 48 की तुलना अधिनियम, 2015 की धारा 94 से करने के लिए, हम नीचे दी गई धारा को भी पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं।

अधिनियम, 2015:

" 94. आयु का अनुमान और निर्धारण। — (1) वह कहाँ है?

समिति या बोर्ड के लिए स्पष्ट, के आधार पर

किसी के अधीन लाए गए व्यक्ति की उपस्थिति

इस अधिनियम के प्रावधान (देने के उद्देश्य के अलावा)

साक्ष्य) कि उक्त व्यक्ति एक बच्चा है, समिति या

बोर्ड आयु बताते हुए इस तरह के अवलोकन को दर्ज करेगा

बच्चा जितना हो सके उतना करीब हो और बिना प्रतीक्षा किए, धारा 14 या धारा 36 के तहत जांच के साथ आगे बढ़े।

आयु की और पुष्टि के लिए।

(2) यदि समिति या बोर्ड के पास उचित है

इस बारे में संदेह का आधार कि क्या व्यक्ति लाया गया था इससे पहले कि वह बच्चा हो या न हो, समिति या बोर्ड, जैसा कि जम्मू और कश्मीर राज्य (अब जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) v.

शुबाम संगरा [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

मामला हो सकता है, आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा, साक्ष्य प्राप्त करके

(i) विद्यालय से जन्म प्रमाण पत्र की तिथि, या

संबंधित से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र

परीक्षा बोर्ड, यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में;

((ii) किसी निगम या संस्था द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र।

नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत;

(iii) और केवल (i) और (ii) से ऊपर की अनुपस्थिति में, आयु

एक अस्थिकरण परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम द्वारा निर्धारित किया जाएगा

समिति या बोर्डः

बशर्ते कि समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित ऐसा आयु निर्धारण परीक्षण इसके भीतर पूरा किया जाएगा।

इस तरह के आदेश की तारीख से पंद्रह दिन।

(3) समिति या बोर्ड द्वारा अभिलिखित आयु उस व्यक्ति की आयु होगी जिसे इस प्रकार उसके समक्ष लाया गया है, इस उद्देश्य के लिए

इस अधिनियम के अनुसार, उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी।

67. यह न्यायालय इस तथ्य का उल्लेख करने के बाद कि जन्म तिथि का खंडन करने वाला कोई अन्य दस्तावेज नहीं था जैसा कि मैट्रिक में दिखाया गया है

प्रमाणपत्र में कहा गया कि चिकित्सा साक्ष्य की आवश्यकता नहीं थी और इस प्रकार सत्र न्यायालय के साथ-साथ किशोर न्याय बोर्ड के फैसले की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा गया। इस प्रकार, प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, उन पर विचार किया जाना चाहिए और उपरोक्त के रूप में उनकी सराहना की जानी चाहिए। निर्णय किसी भी तरह से प्रतिवादी अभियुक्त की मदद नहीं करते हैं। इसके विपरीत, ऊपर चर्चा किए गए सभी निर्णयों से स्पष्ट अनुपात यह है कि स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र आदि सहित दस्तावेजों की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी और इस संबंध में कोई कठोर और त्वरित नियम नहीं बनाया जा सकता है।

68. पराग भाटी (ऊपर) में, अबुज़र हुसैन मामले (ऊपर) और अन्य फैसलों को संदर्भित करने के बाद, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दियाः

" 34. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर एक स्पष्ट और स्पष्ट है

किशोर अभियुक्त के पक्ष में मामला कि वह नाबालिग था

दस्तावेजी साक्ष्य कम से कम प्रथम दृष्टया वही साबित करते हैं, वह जेजे [2022] 8 एस. सी. आर. के तहत विशेष सुरक्षा का हकदार होगा।

एक्ट करें। लेकिन जब कोई आरोपी एक गंभीर और जघन्य अपराध करता है

अपराध और उसके बाद वैधानिक आश्रय लेने का प्रयास

एक नाबालिग, एक आकस्मिक या घुड़सवार दृष्टिकोण होने की आड़ में

यह रिकॉर्ड करते हुए कि क्या कोई आरोपी नाबालिग है या नहीं अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि अदालतों को आदेश दिया गया है

रक्षा के उद्देश्य से अपने कर्तव्यों का पालन करें

सौंपे गए संस्थान में आम आदमी का विश्वास

न्याय का प्रशासन।

35. परोपकारी विधान के सिद्धांत का लाभ

जेजे अधिनियम से संलग्न इस प्रकार केवल ऐसे मामलों पर ही लागू होगा

जिसके आधार पर अभियुक्त को किशोर माना जाता है -

लाभ के रूप में उसके अल्पसंख्यक होने के संबंध में कम से कम प्रथम दृष्टया साक्ष्य आयु के संबंध में दो विचारों की संभावनाओं का

निर्दोषता के बजाय अपने मन की परिपक्वता को दर्शाने का तरीका यह दर्शाता है कि उसकी किशोरता की दलील एक की प्रकृति में अधिक है

कानून के हथियारों को चकमा देने या धोखा देने के लिए ढाल की अनुमति नहीं दी जा सकती है

उसे बचाने के लिए।

(जोर दिया गया)

उपरोक्त का कथन है कि अधिनियम, 2000 का उद्देश्य है -

o गंभीर और जघन्य अपराधों के अभियुक्तों को आश्रय देना।

69. यह न्यायालय रामदेव सहित अपने कई फैसलों में

उसी तरह की स्थिति से निपटने वाले उर्फ राज नाथ (सुप्रा) ने जो हमने कहा है, वह इस प्रकार हैः

यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता न तो बच्चा था और न ही

के अर्थ के भीतर एक बच्चा होने की उम्र के करीब

किशोर न्याय अधिनियम या बाल अधिनियम। वह साबित होता है कि

के मन में बहुत कम एक उचित संदेह पैदा होता है न्यायालय, अभियुक्त के लिए जो उसे कम के लाभ का हकदार बनाता है

सजा। यह सच है कि आरोपी ने एक बनाने की कोशिश की

उसकी उम्र के संबंध में स्मोकस्क्रीन लेकिन इस तरह के प्रयास दिखाई देते हैं

केवल अपनी वास्तविक उम्र छिपाने के लिए बनाया गया है और बनाने के लिए नहीं

हमारे मन में कोई भी संदेह। न्यायिक प्रणाली की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कल्पनाशील का सहारा लेकर फिरौती के लिए ले जाया जाना और

द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर (अब जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) v. शुबाम संगरा [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

कुछ गवाहों के साक्ष्य में उपस्थित होना,

विशेष रूप से विशेष अनुमति याचिका के चरण में। कानून.

निर्णयों की अंतिमता पर जोर देता है और अधिक चिंतित है

न्यायिक प्रणाली को मजबूत बनाना। अदालतें हैं

के उद्देश्य से अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया गया

आम आदमी के विश्वास को मजबूत करना

न्याय के प्रशासन के लिए सौंपी गई संस्था। किसी भी प्रयास जो व्यवस्था को कमजोर करता है और लोगों के विश्वास को हिलाता है

न्याय व्यवस्था में आम आदमी को होना चाहिए

हतोत्साहित किया। "

(जोर दिया गया)

70. रामदेव चौहान उर्फ में उपरोक्त टिप्पणियाँ

राज नाथ (उपरोक्त) को निस्संदेह इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा किशोर होने का दावा करने वाले अभियुक्त पर मृत्युदंड की सजा पर विचार करते समय दर्ज किया गया था, फिर भी उसमें व्यक्त किए गए विचार स्पष्ट रूप से एक ऐसे मुद्दे को हल करने के लिए महत्व देते हैं जहां अदालत स्पष्ट रूप से एक निष्कर्ष निकालने की स्थिति में नहीं है जिसमें अभियुक्त या उसके अभिभावक द्वारा एक किशोर को उपलब्ध लाभ का दावा करने का प्रयास किया जाता है जो तथाकथित किशोर अभियुक्त के प्रति सहानुभूति प्राप्त करने और अदालत को प्रभावित करने का प्रयास हो सकता है, जो वास्तव में घटना की तारीख को एक वयस्क था। (ओम प्रकाश वी. देखें। राजस्थान राज्य (2012) 5 एससीसी 201)।

71. ओम प्रकाश (ऊपर) में, यह न्यायालय पैरा 33,34,35,36,37 में

और 38 उत्तर निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

" 33. इसी तरह, यदि किसी अभियुक्त का आचरण या विधि

और अभियुक्त का एक सुनियोजित अभिकल्पना अपराध जो एक के परिपक्व कौशल की ओर अधिक इंगित करता है

एक निर्दोष बच्चे की तुलना में आरोपित, फिर अनुपस्थिति में आयु के समर्थन में विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य

अभियुक्त, चिकित्सीय साक्ष्य इंगित करता है कि अभियुक्त एक था मेजर को शरण लेते हुए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है

किशोर न्याय जैसे परोपकारी विधान का सिद्धांत

अधिनियम, वैधानिक संरक्षण के रूप में न्याय के पाठ्यक्रम को नष्ट करना

किशोर न्याय अधिनियम उन नाबालिगों के लिए है जो निर्दोष कानून तोड़ने वाले और परिपक्व दिमाग के आरोपी नहीं

जो अल्पसंख्यक के अनुरोध का उपयोग रक्षा के लिए एक चाल या ढाल के रूप में करते हैं स्वयं उसके द्वारा किए गए अपराध की सजा से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

34. किशोर न्याय अधिनियम के तहत परोपकारी कानून का लाभ स्पष्ट रूप से एक वास्तविक बाल आरोपी/किशोर को सुरक्षा प्रदान करेगा जो अदालत को इस दुविधा में नहीं डालता है कि वह नाबालिग है या नहीं, अपनी अल्पमत की याचिका के समर्थन में साक्ष्य पेश करके, लेकिन इसके अभाव में, केवल स्कूल प्रवेश रजिस्टर जैसे अस्थिर साक्ष्य पर भरोसा किया जाता है जो साबित नहीं होता है या अनुमानों पर आधारित मौखिक साक्ष्य जो आगे अस्पष्टता की ओर ले जाता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

अभियुक्त की आयु का आकलन करने के लिए चिकित्सीय साक्ष्य को प्राथमिकता देना।

35. चिकित्सीय साक्ष्य की प्रासंगिकता और मूल्य पर विचार करते हुए, आयु के बारे में डॉक्टर का अनुमान हालांकि एक महत्वपूर्ण अनुमान नहीं है।

सबूत के लिए मजबूत पदार्थ क्योंकि यह केवल एक राय है, ऑसिफिकेशन और रेडियोलॉजिकल परीक्षा जैसे वैज्ञानिक चिकित्सा परीक्षणों पर आधारित ऐसी राय को कथित किशोर आरोपी की उम्र का निर्धारण करते समय पुष्टिकारक मूल्य वाले मजबूत सबूत के रूप में माना जाएगा।

36. रामदेव चौहान उर्फ राज नाथ बनाम। असम राज्य [(2001) 5 एससीसी 714: 2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 915], विद्वान न्यायाधीशों ने इस मुद्दे के निर्धारण के लिए एक अंतर्दृष्टि जोड़ी है।

जब उन्होंने निम्नलिखित रूप में दर्ज कियाः (एस. सी. सी पी. 720 डी-ई)

" बेशक डॉक्टर का उम्र का अनुमान मजबूत नहीं है।

सबूत के लिए विकल्प क्योंकि यह केवल उसकी राय है। लेकिन इस तरह

किसी विशेषज्ञ की राय को उस क्षेत्र में दरकिनार नहीं किया जा सकता है जहां

अदालत यह पता लगाने के लिए अंधेरे में घूमती है कि संभवतः क्या होगा वहन करने के उद्देश्य से एक नागरिक की आयु रही है

वह एक संवैधानिक संरक्षण है। अन्य सभी की अनुपस्थिति में स्वीकार्य सामग्री, यदि ऐसी राय एक उचित की ओर इशारा करती है

उसकी उम्र की सीमा के बारे में संभावना यह निश्चित रूप से है

विचार करने के लिए "।

(जोर दिया गया)

हालाँकि, स्थिति अलग होगी यदि कथित किशोर की उम्र को छिपाने के लिए शैक्षणिक रिकॉर्ड को जानबूझकर रोक दिया गया है और अभियोजन पक्ष के कहने पर चिकित्सा साक्ष्य की प्रामाणिकता को चुनौती दी गई है।

उस स्थिति में, क्या चिकित्सा साक्ष्य जम्मू और कश्मीर का राज्य (अब जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) v. शुबाम संगरा [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

निर्भर किया जाना चाहिए या नहीं स्पष्ट रूप से निर्भर करेगा प्रतिद्वंद्वी दलों के नेतृत्व में साक्ष्य का मूल्य।

37. उपरोक्त चर्चा और विश्लेषण के आधार पर मामले के प्रचलित तथ्यों और परिस्थितियों पर, हम हैं

यह विचार कि प्रत्यर्थी 2 विजय कुमार और उनके पिता

यह साबित करने में विफल रहे हैं कि प्रतिवादी 2 नाबालिग था

अपराध करने का समय और इसलिए नहीं हो सकता था

किशोर न्याय अधिनियम का लाभ प्रदान किया जो

निस्संदेह यह एक हितकारी कानून है, लेकिन एक अभियुक्त द्वारा इसका लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसने

किशोरता केवल अपनी वास्तविक उम्र को छिपाने के प्रयास के रूप में ताकि

निचली अदालतों के मन में संदेह पैदा करें जिन्होंने ऐसा सोचा था

उसे केवल एक किशोर का लाभ देने के लिए उपयुक्त

परोपकारी विधान के सिद्धांत को अपनाना लेकिन अनुपस्थित इसका महत्वपूर्ण निहितार्थ यह है कि यद्यपि किशोर न्याय अधिनियम द्वारा

अपने आप में एक परोपकारी कानून है, इसके तहत सुरक्षा एक ऐसे आरोपी को उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है जो वास्तव में

एक किशोर नहीं है लेकिन केवल एक के रूप में इसका उपयोग करके आश्रय चाहता है

सुरक्षात्मक छत्र या वैधानिक कवच। हम अधीन हैं।

यह देखने के लिए बाधा कि इसे हतोत्साहित करना होगा यदि

अभिलेख पर साक्ष्य और अन्य सामग्री यह साबित करने में विफल रहती है कि घटना के समय आरोपी नाबालिग था।

अपराध।

38. किशोर न्याय अधिनियम, जो निश्चित रूप से एक आरोपी बच्चे के साथ देखभाल और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करने के लिए है, जो उसे समाज की मुख्यधारा में सुधार करने और बसने का मौका प्रदान करता है, इसे पाठ्यक्रम को धोखा देने के लिए एक चाल के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

मुकदमा चलाते समय न्याय और जघन्य अपराध के साथ व्यवहार

अपराध। इसे स्पष्ट रूप से न्याय व्यवस्था को कमजोर करने के प्रयास के रूप में माना जाएगा और इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता है। प्रोत्साहित किया। '

72. इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि किशोर अभियुक्त के पक्ष में स्पष्ट और स्पष्ट है कि वह नाबालिग था

एन. सी. आई. डी. और दस्तावेजी साक्ष्य कम से कम प्रथम दृष्टया

यही कामना करते हुए, वह अवैध न्याय अधिनियम के तहत विशेष सुरक्षा का हकदार होगा। हालाँकि, जब कोई आरोपी हाथ में अपराध की तरह एक जघन्य अपराध करता है और उसके बाद नाबालिग, एक आकस्मिक या घुड़सवार [2022] होने की आड़ में शरण लेने का प्रयास करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभिलिखित करते समय कि क्या कोई अभियुक्त किशोर है या नहीं, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि न्यायालयों को न्याय के प्रशासन को सौंपे गए संस्थान में आम आदमी के विश्वास की रक्षा करने के उद्देश्य से अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया गया है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पराग भाटी (ऊपर) में कहा गया है, किशोर न्याय अधिनियम से जुड़े परोपकारी कानून के सिद्धांत का लाभ केवल ऐसे मामलों में दिया जाएगा जिसमें आरोपी को कम से कम प्रथम दृष्टया विश्वास पैदा करने वाले साक्ष्य के आधार पर किशोर माना जाता है। उसके अल्पमत के संबंध में, कथित अभियुक्त की आयु के संबंध में दो विचारों की संभावनाओं के लाभ के रूप में, जो गंभीर और गंभीर अपराध में शामिल है, जिसे उसने कथित रूप से किया है और इसे एक सुनियोजित तरीके से लागू किया है, जो निर्दोषता के बजाय अपने मन की परिपक्वता को दर्शाता है, यह दर्शाता है कि उसकी किशोरता की याचिका कानून के हथियारों को चकमा देने या धोखा देने के लिए ढाल की प्रकृति में अधिक है, उसके बचाव में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

73. अभिलेख पर सामग्री से यह प्रतीत होता है कि के पिता

कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका समिति, हीरा नगर के समक्ष घोषित नियमों के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1956 की धारा 19 (3) के तहत आवेदन को प्राथमिकता देते समय प्रतिवादी कि चिकित्सा समिति, हीरा नगर अपने तीन बच्चों के जन्म को दर्ज करने में विफल रही थी, जिसमें प्रतिवादी भी शामिल था।

परिस्थितियों में उन्होंने अधिनियम, 1956 की धारा 19 (3) के तहत जन्म तिथि और स्थान के संबंध में संबंधित प्राधिकारी से आदेश की मांग की। हालांकि, खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा संबोधित 15.03.2018 का पत्र

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, हीरा नगर के अधीक्षक को पुलिस, जम्मू ने कहा कि श्रीमती के नाम पर कोई डिलीवरी नहीं। त्रिप्ता देवी, पत्नी ओम प्रकाश नगरपालिका अस्पताल में 23.10.2002 पर हुई थी।

यह तस्वीर को बहुत स्पष्ट करता है। 74. ऐसा कोई उचित कारण नहीं है कि हमें पांच योग्य डॉक्टरों की एक टीम द्वारा दी गई अंतिम राय की विश्वसनीयता को नजरअंदाज या अनदेखा या संदेह करना चाहिए, जिसमें से एक शरीर विज्ञान विभाग से और एक शरीर विज्ञान विभाग से है।

शरीर रचना विज्ञान विभाग, मौखिक निदान विभाग से एक, फोरेंसिक मेडिसिन विभाग से एक और शरीर रचना विज्ञान विभाग से एक

रेडियो निदान विभाग, सभी एक शब्द में कहते हैं कि शारीरिक, दंत और रेडियोलॉजिकल परीक्षा के आधार पर, उत्तरदाता की अनुमानित आयु 19 और 23 वर्ष के बीच तय की जा सकती है। 75. हम केवल यह जोड़ सकते हैं कि बेहतर तकनीकें उपलब्ध हैं और इनका उपयोग दुनिया भर में उम्र के निर्धारण के लिए किया जाता है।

उदाहरण के लिए, जम्मू और कश्मीर राज्य (अब जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) v. शुबाम संगरा [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

संयुक्त राज्य अमेरिका का आप्रवासन विभाग उम्र के निर्धारण के लिए 'ज्ञान दांत' तकनीक का उपयोग करता है। इस तकनीक के तहत, डॉक्टर तीसरे दाढ़ की जांच करते हैं जो आमतौर पर 17 से 25 साल की उम्र के बीच फूटता है। इस तकनीक में औसत त्रुटि भी काफी कम है

किसी अन्य हड्डी का अस्थीकरण। एक अन्य तकनीक 'एपिजेनेटिक क्लॉक' तकनीक है। एपिजेनेटिक घड़ी डी. एन. ए. घड़ी है जो किसी ऊतक या अंग की आयु का अनुमान लगाने के लिए डी. एन. ए. मिथाइलेशन स्तर को मापती है। इस तकनीक में औसत त्रुटि को चार सप्ताह से कम किया जा सकता है। हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि इस तरह की तकनीकों को हमारे देश में भी पेश किया जाना चाहिए। (संदर्भः शामिन टी, आयु अनुमानः ए डेंटल अप्रोच, जर्नल ऑफ पंजाब एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड

टॉक्सिकोलॉजी, वॉल्यूम। 6 अंक 1. आईएसएसएन-0972-5687)

76. जैसा कि इस न्यायालय ने रामदेव चौहान उर्फ राज मामले में कहा है।

जब न्यायालय स्वयं संवैधानिक संरक्षण का दावा करने वाले नागरिक की आयु के संबंध में संदेह में हो तो इसे दरकिनार या नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अन्य सभी स्वीकार्य सामग्रियों के अभाव में, यदि विशेषज्ञों की ऐसी राय है उसकी आयु की सीमा के संबंध में एक उचित संभावना की ओर इशारा करते हुए, न्यायालय को न्याय के हित में इस पर विचार करना चाहिए। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अपीलकर्ता राज्य पर आरोप लगाया गया है कि उसने जानबूझकर आवश्यक अभिलेखों को केवल उसकी आयु को छिपाने या छिपाने के उद्देश्य से छिपा रखा है।

अभियोजन पक्ष के कहने पर कथित किशोर और चिकित्सा साक्ष्य की प्रामाणिकता को चुनौती दी जाती है। यदि ऐसा होता तो चिकित्सा साक्ष्य पर भरोसा किया जाना चाहिए या नहीं।

स्पष्ट रूप से साक्ष्य के मूल्य पर निर्भर करता है जो प्रतिद्वंद्वी दलों के नेतृत्व में हो सकता है।

77. यह ध्यान देने योग्य है कि पांच चिकित्सा बोर्डों के विशेष चिकित्सा बोर्ड द्वारा तैयार की गई चिकित्सा रिपोर्ट की विश्वसनीयता के संबंध में प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है।

विशेषज्ञ। दोहराने की कीमत पर, एकमात्र तर्क यह है कि मेडिकल रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दें क्योंकि रिकॉर्ड पर विभिन्न दस्तावेजों में जन्म तिथि का प्रमाण मिलता है। हमने खुद को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जन्म तिथि का प्रमाण देने वाले दस्तावेज किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं और न्याय के हित में विशेष चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट पर वापस आने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

78. मामले के समग्र दृष्टिकोण से, हम आश्वस्त हैं कि सीजेएम के आदेश की पुष्टि करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश नहीं है

कानून में टिकाऊ।

तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे देश में एक ऐसी विचारधारा मौजूद है जो दृढ़ता से मानती है कि अपराध चाहे कितना भी जघन्य क्यों न हो, चाहे वह एकल बलात्कार हो, सामूहिक बलात्कार हो, नशीली दवाओं की तस्करी हो या हत्या हो, लेकिन अगर आरोपी यदि वह किशोर है, तो उससे केवल एक बात को ध्यान में रखते हुए निपटा जाना चाहिए, अर्थात सुधार का लक्ष्य। विचार का स्कूल, हम ले रहे हैं

उनका मानना है कि सुधार का लक्ष्य आदर्श है। जिस तरह से किशोरों द्वारा क्रूर और जघन्य अपराध किए गए हैं और अभी भी किए जा रहे हैं, उससे हमें आश्चर्य होता है कि क्या अधिनियम, 2015 ने अपने उद्देश्य को कम कर दिया है। हमने यह धारणा बनानी शुरू कर दी है कि सुधार के लक्ष्य के नाम पर किशोरों के साथ जिस नरमी से निपटा जाता है, वह उन्हें इस तरह के जघन्य अपराधों में लिप्त होने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित कर रहा है। यह सरकार को विचार करना है कि क्या 2015 का उसका अधिनियम प्रभावी साबित हुआ है या दिन में बहुत देर होने से पहले इस मामले में कुछ करने की आवश्यकता है।

80. परिणामस्वरूप, यह अपील सफल हो जाती है और इसके द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है। सीजेएम, कठुआ और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश निर्धारित किया गया है

एक तरफ। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रतिवादी अभियुक्त अपराध करने के समय किशोर नहीं था और उस पर अन्य पक्षों की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

अभियुक्तों पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया गया। कानून अपना काम करेगा

बेशक।

81. यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिवादी अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता का निर्धारण सख्ती से इसके आधार पर किया जाएगा -

साक्ष्य जो मुकदमे के समय अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के नेतृत्व में हो सकता है। इस निर्णय में की गई सभी टिप्पणियाँ केवल किशोरावस्था के मुद्दे को तय करने के उद्देश्य से हैं।

82. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः शुभांशु दास, एलसीआरए)